

अप्रैल - सितम्बर, 2026

सृजन

प्रथमांक



राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

बढ़ता भारत, सँवरता जीवन



राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की पाँचवीं स्थापना दिवस का शुभारंभ करते हुए संस्थान के श्री राजकिरण राय जी - प्रबंध निदेशक, श्री बी एस वेंकटेश - उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी, श्रीमती मोनिका कालिया - उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित निदेशक मण्डल के सदस्यगण



राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की पाँचवीं स्थापना दिवस के अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते हुए पद्मभूषण से सम्मानित एवं संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री के वी कामथ, श्री राजकिरण राय जी - प्रबंध निदेशक, श्री बी एस वेंकटेश - उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी, श्रीमती मोनिका कालिया - उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी, श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज- उप प्रबंध निदेशक- ऋण एवं परियोजना वित्त सहित निदेशक मण्डल के सदस्यगण एवं संस्थान के अधिकारीगण

मुख्य संरक्षक

श्री राजकिरण राय जी
प्रबंध निदेशक



संरक्षक

श्री बी एस वेंकटेश
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य जोखिम अधिकारी

श्रीमती मोनिका कालिया
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज
उप प्रबंध निदेशक - ऋण एवं
परियोजना वित्त



प्रधान सम्पादक

श्री सचीन्द्र कुमार राय
कार्यपालक उपाध्यक्ष एवं
मुख्य अनुपालन अधिकारी



सम्पादक

डॉ. धीरज कुमार मिश्र
वरिष्ठ विश्लेषक - राजभाषा

पत्र - व्यवहार

सम्पादक

द कैपिटल, ए विंग, 15 वीं मंजिल- 1503
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
ईमेल : dhiraj.mishra@nabfid.org
दूरभाष संख्या : +9122-41042430

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ सं.
→ संदेश - प्रबंध निदेशक	2
→ संदेश - उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी	3
→ संदेश - उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	4
→ संदेश - उप प्रबंध निदेशक - ऋण एवं परियोजना वित्त	5
→ प्रधान सम्पादक की कलम से	6
→ सम्पादकीय	7
→ आलेख : भारत में बुनियादी ढाँचे का विकास : मिशन 2047	8-12
→ कविता : संकल्प यही दोहराना है, हिन्दी, जल है, तो कल है	13
→ आलेख : बिश्नोई समाज : प्रकृति और जीवन रक्षा में समर्पित एक परंपरा	14-17
→ कविता : Hi Dad	18-19
→ आलेख : भारत में जहाज निर्माण: समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक रणनीतिक स्तंभ	20-23
→ वार्तालाप : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)	24-25
→ आलेख : भारतीय प्रगतिशील काव्य आंदोलन: साहित्य, समाज और मानव मुक्ति का सांस्कृतिक इतिहास	26-28
→ பணியிடப் பண்பாடு தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் நெறிகள்	29-31
→ आलेख : सुशासन	32
→ कविता : मुम्बई से सीखा	33
→ आवरण सज्जा	34-35
→ सतर्क रहें - धोखाधड़ी से बचें	36
→ आलेख : मानसून से आगे : भारत में सिंचाई के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना	37-38
→ कला कृति	39
→ आलेख : विनिमय दर और प्रणालीगत तरलता का चक्र	40-41
→ नन्ही दुनिया	42
→ ना को अपनाओ भ्रष्टाचार मिटाओ	43-45
→ हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम	46-48

कृपया विशेष ध्यान दें : पत्रिका में व्यक्त विचारों से नैबफिड का सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाओं की मौलिकता तथा उनमें प्रस्तुत तथ्यों आदि की यथार्थता के लिए संबंधित रचनाकार ही उत्तरदायी हैं।



संदेश

राजकिरण राय जी.
प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की राजभाषा पत्रिका "सृजन" के प्रथमांक का प्रकाशन एक सुखद अनुभव है। पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित सभी कर्मचारीगण बधाई के पात्र हैं। भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। इस यात्रा में विश्वस्तरीय अवसंरचना सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क और शहरी सुविधाएँ केवल परियोजनाएँ नहीं हैं, बल्कि आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और जीवन गुणवत्ता में सुधार के प्रमुख साधन हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार की विभिन्न पहलों ने अवसंरचना विकास को नई गति दी है। इसके परिणामस्वरूप निवेश के अवसर बढ़े हैं और देश की विकास क्षमता और मजबूत हुई है। किंतु इतनी विशाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक एवं सतत वित्तपोषण की उपलब्धता अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से नैबफिड की स्थापना की गई है। एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में हमारा प्रयास केवल वित्त उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि अवसंरचनात्मक वित्तपोषण के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना भी है। हम नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों, पूँजी जुटाने के नए स्रोतों तथा संस्थागत सहयोग के माध्यम से विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आज भारत हरित ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अधिक समावेशी, संपोषणीय और सक्षम भारत के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। इस विकास यात्रा में हिन्दी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजभाषा के रूप में हिन्दी विचारों, ज्ञान और संवाद को व्यापक जनसमूह तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम है। विकास तभी सार्थक है जब उसकी भाषा भी जनसुलभ हो।

नैबफिड राष्ट्र निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में अपनी भूमिका पूर्ण समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि सुदृढ़ अवसंरचना, नवाचार और सामूहिक प्रयासों के बल पर भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने संकल्प को अवश्य साकार करेगा। "मजबूत अवसंरचना केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की आधारशिला है।"

मैं आशा करता हूँ कि "सृजन" का प्रत्येक अंक संगठन के मूल्यों, उत्कृष्ट कार्य-संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा तथा सभी कर्मचारियों को सक्रिय सहभागिता और रचनात्मक योगदान के लिए प्रेरित करेगा। हमें अपने संस्थान के निहित उद्देश्य के साथ साथ राजभाषा संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में यथासंभव प्रयास करना चाहिए।



संदेश

बी. एस. वेंकटेश

उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी

राजभाषा पत्रिका "सृजन" का प्रकाशन एक सुखद क्षण है। मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए सम्पादकीय मंडल, राजभाषा विभाग तथा इसके प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

किसी भी संस्थान में जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में स्पष्ट, सटीक और समयबद्ध संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जोखिम प्रबंधन किसी एक विभाग का कार्य नहीं, बल्कि पूरे संस्थान की कार्य-संस्कृति है और यह संस्कृति तभी विकसित होती है जब प्रत्येक कर्मचारी जोखिम से जुड़ी बातों को सरलता से समझ सके। यहीं पर राजभाषा हिन्दी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपनी भाषा में समझी गई बात ही व्यवहार में सबसे प्रभावी ढंग से उतरती है। राजभाषा हिन्दी का प्रभावी प्रयोग न केवल संस्थान के भीतर समवाद को अधिक सहज और समावेशी बनाता है, बल्कि कार्य में स्पष्टता, उत्तरदायित्व और सहभागिता को भी सुदृढ़ करता है।

"सृजन" केवल एक राजभाषा पत्रिका नहीं, बल्कि विचारों, अनुभवों और रचनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त मंच है। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका कर्मचारियों की साहित्यिक एवं बौद्धिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ज्ञान, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगी। ऐसे प्रयास संगठन में सीखने की संस्कृति को सुदृढ़ करते हैं, जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन और संस्थागत उत्कृष्टता के लिए समान रूप से आवश्यक है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि "सृजन" का प्रत्येक अंक नई सोच, प्रेरक लेखों और उपयोगी सामग्री के माध्यम से पाठकों को समृद्ध करेगा तथा राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ नैबफिड की ज्ञान-आधारित कार्य-संस्कृति को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

मैं पुनः इस प्रथमांक के सफल प्रकाशन पर सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा "सृजन" की निरंतर प्रगति, लोकप्रियता एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।



संदेश

मोनिका कालिया

उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

राजभाषा पत्रिका "सृजन" के प्रथमांक के प्रकाशन पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह पत्रिका हमारी संस्थान में राजभाषा हिन्दी के संवर्धन, रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा ज्ञान-साझाकरण की दिशा में एक सार्थक और स्वागतयोग्य पहल है। इस अवसर पर मैं पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देती हूँ।

किसी भी संगठन की सफलता केवल उसके वित्तीय प्रदर्शन से ही नहीं, बल्कि उसके सशक्त संवाद, समन्वय और कार्य-संस्कृति से भी निर्धारित होती है। राजभाषा हिन्दी इन सभी आयामों को सुदृढ़ बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। यह न केवल प्रशासनिक कार्यों में सहजता और पारदर्शिता लाती है, बल्कि कर्मचारियों के बीच आत्मीयता, सहभागिता और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी प्रोत्साहित करती है।

पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पत्रिका में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियों की सूचना कर्मचारियों को राजभाषा के प्रति उत्साहित और प्रेरित करेगी जिससे हम संस्थान में राजभाषा नीति के अनुपालन के साथ वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होंगे। हिन्दी सम्पर्क की एक बेमिसाल भाषा है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है।

"सृजन" हमारे सहकर्मियों की प्रतिभा, अनुभव, नवाचार और साहित्यिक अभिरुचि को अभिव्यक्ति देने वाला सशक्त मंच है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि "सृजन" का प्रत्येक अंक अपने उत्कृष्ट विषय-वस्तु, मौलिक लेखन और प्रेरक सामग्री के माध्यम से पाठकों को समृद्ध करेगा तथा राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रथमांक के सफल प्रकाशन पर मैं पुनः सभी रचनाकारों, संपादकीय मंडल एवं राजभाषा विभाग को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ तथा "सृजन" की निरंतर प्रगति एवं सफलता की मंगलकामना करती हूँ।



संदेश

सैमुअल जोसेफ जेबराज

उप प्रबंध निदेशक - ऋण एवं परियोजना वित्त

संस्थान की राजभाषा पत्रिका "सृजन" का प्रकाशन एक सार्थक पहल है। पत्रिका से जुड़े हमारे सभी कर्मचारीगण बधाई के पात्र हैं। हमारा संस्थान अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत है और इस दिशा में हम निरंतर नए विचारों, अनुभवों तथा श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं। इसी संदर्भ में, आंतरिक पत्रिका 'सृजन' केवल एक आधिकारिक हिन्दी पत्रिका न होकर, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अपने ज्ञान, अनुभवों, नवोन्मेषी सोच तथा व्यावसायिक अंतर्दृष्टियों को साझा करने का एक सशक्त मंच बनेगी।

परियोजना वित्तपोषण, ऋण प्रबंधन, जोखिम आकलन तथा अवसंरचना क्षेत्र में उभरती प्रवृत्तियों से संबंधित सारगर्भित लेख, विश्लेषण एवं विचार संगठन की बौद्धिक पूँजी को और अधिक समृद्ध करेंगे। यह पत्रिका विभिन्न विभागों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ-साथ संगठन में नवाचार, सहयोग एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे सभी कर्मचारी राजभाषा कार्यान्वयन में अपनी भूमिका निभाते हुए उल्लेखनीय कार्य करें, इसकी अपेक्षा की जाती है। सभी के प्रयास और भागीदारी से राजभाषा को गति मिलेगी।

साथ ही, परियोजना वित्त जैसे जटिल वित्तीय एवं तकनीकी विषयों को हिन्दी के माध्यम से सरल, सुगम एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करके यह पत्रिका न केवल राजभाषा के प्रचार-प्रसार में योगदान देगी, बल्कि व्यावसायिक ज्ञान के व्यापक प्रसार का भी माध्यम बनेगी।

'सृजन' संगठन के सभी कर्मचारियों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, अपने अनुभवों को साझा करने तथा एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करेगी। प्रौद्योगिकी के सहयोग से राजभाषा में विशिष्ट और सृजनात्मक कार्य किया जा सकता है जो उपयोगी होगा।



प्रधान सम्पादक की कलम से

सचीन्द्र कुमार राय

कार्यपालक उपाध्यक्ष एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

"सृजन" के प्रथमांक को आपके समक्ष रखते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। भारतीय काव्य-परंपरा में "सृजन" को वेदना और प्रसव के रूपक से बहुत प्रभावशाली ढंग से समझा जा सकता है। सृजन केवल आनंद की अनुभूति नहीं, बल्कि भीतर संचित अनुभवों, भावों और विचारों को जन्म देने की पीड़ादायक प्रक्रिया भी है। इसे संस्कृत के एक श्लोक से समझा जा सकता है:

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ॥

- रघुवंशम्, 1.1

कालिदास यहाँ पार्वती और परमेश्वर को वाणी और अर्थ की तरह अभिन्न मानते हैं। जिस प्रकार अर्थ को वाणी के माध्यम से जन्म मिलता है, उसी प्रकार सृजन में भी भीतर का अदृश्य भाव बाहरी रूप ग्रहण करता है। यह रूपांतरण सहज नहीं होता। इसके पीछे साधना, संघर्ष और वेदना होती है। इसे प्रसव के रूपक में कहें तो विचार गर्भ है, साधना गर्भधारण है, वेदना प्रसव-पीड़ा है और रचना नवजात शिशु। सृजनकर्ता अपनी अंतःपीड़ा को सहकर ही किसी नए सौंदर्य, विचार या कृति को संसार में जन्म देता है। इसीलिए सृजन की वेदना को इस प्रकार कहा जा सकता है-

दुःखं सृजनस्य जननी, वेदना तस्य प्रसवः।

अर्थात्- दुःख सृजन की जननी है और वेदना उसके प्रसव की पीड़ा।

"सृजन" पत्रिका के प्रकाशन में कई स्मृतियों और विचारात्मक अनुभवों को जीने का सुखद क्षण प्राप्त हुआ है, जिसमें सृजनात्मकता विद्यमान रही है। सृजन केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि विचारों, नवाचार, नैतिक मूल्यों और संस्थागत उत्कृष्टता का एक साझा मंच है। यह हमें अपने अनुभवों, उपलब्धियों, सीख और भविष्य की संभावनाओं को एक-दूसरे के साथ साझा करने का अवसर प्रदान करती है।

आज के परिवर्तित व्यावसायिक एवं नियामकीय परिवेश में अनुपालन केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि यह संगठन की संस्कृति, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और विश्वास का आधार है। ऐसे में नैतिकता और उदात्तता एक ऐसे मूल्य, स्वभाव और संस्कार हैं जिससे अनुपालन व्यवस्था और संस्थान की विश्वसनीयता सुदृढ़ होती है और दीर्घकालिक एवं सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

इस अंक में सम्मिलित लेख, अनुभव, रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ और उपलब्धियाँ हमारे सहयोगियों की प्रतिभा, समर्पण एवं सृजनात्मक सोच का परिचायक हैं। मुझे विश्वास है कि यह अंक न केवल ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि हम सभी को नए दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच और बेहतर कार्य संस्कृति के लिए प्रेरित भी करेगा।

आभार सहित,



सम्पादकीय

डॉ. धीरज कुमार मिश्र

वरिष्ठ विश्लेषक-राजभाषा

'सृजन' पत्रिका को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। अपनी परिकल्पना से लेकर प्रकाशन तक की यह यात्रा रचनात्मकता, सहभागिता एवं सामूहिक प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस यात्रा में संस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहपूर्ण सहयोग और सृजनात्मक योगदान सराहनीय रहा है। सृजन में स्वाभाविक रूप से मौलिकता, रचनात्मकता, उत्पत्ति समाहित है। पत्रिका का उद्देश्य कर्मचारियों की सृजनात्मक लेखन प्रतिभा को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना तथा विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक एवं संस्थान की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित सूचनापरक सामग्री प्रकाशित करना है, ताकि सभी कर्मचारी इससे लाभान्वित हों और राजभाषा का प्रसार हो सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी (देवनागरी लिपि) को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 351 संघ पर यह दायित्व निर्धारित करता है कि वह हिन्दी भाषा के विकास, संवर्धन एवं प्रसार के लिए सतत प्रयास करे, ताकि वह भारत की समासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके। इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार की राजभाषा नीति का मूल उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रभावी, सरल एवं क्रमिक प्रयोग सुनिश्चित करना है।

हमारा संस्थान भी राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हिन्दी केवल राजकीय कार्य-संपादन का माध्यम ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के मध्य प्रभावी संवाद, कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा जनसामान्य से सहज संप्रेषण का सशक्त साधन भी है। संस्थान में आयोजित हिन्दी कार्यशालाएँ, प्रतियोगिताएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साहित्यिक एवं रचनात्मक गतिविधियाँ इसी दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं।

इसी उद्देश्य को साकार करने की दिशा में 'सृजन' पत्रिका केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का मंच नहीं, बल्कि राजभाषा हिन्दी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, सृजनशीलता और संस्थागत संस्कृति का सजीव दस्तावेज है। पत्रिका के नामकरण से लेकर इसके आकर्षक आवरण तथा विविध साहित्यिक एवं ज्ञानवर्धक रचनाओं के माध्यम से सभी सहयोगियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया है। यह पत्रिका न केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रभावी प्रयोग के प्रति भी नई प्रेरणा प्रदान करेगी।

मैं अपने आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, समस्त उप प्रबंध निदेशकगण एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके दूरदर्शी मार्गदर्शन, सतत प्रेरणा एवं सहयोग से इस पत्रिका का प्रकाशन संभव हो सका। साथ ही, मैं उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके समर्पण, सृजनशीलता एवं सक्रिय सहभागिता ने 'सृजन' को एक सार्थक, प्रेरणादायी एवं गरिमामय स्वरूप प्रदान किया। मेरा विश्वास है कि 'सृजन' पत्रिका भविष्य में भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार, ज्ञान-विनिमय तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम बनकर हमारे संस्थान में राजभाषा के संवर्धन को नई दिशा एवं ऊर्जा प्रदान करती रहेगी।

सादर धन्यवाद,



विभुदत्त दाश
उपाध्यक्ष-
ऋण एवं परियोजना वित्त

भारत में बुनियादी ढाँचे का विकास : मिशन 2047

जैसे-जैसे भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने की ओर बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र बनने का सपना पहले से कहीं अधिक साकार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने की वास्तविक नींव मजबूत और आधुनिक बुनियादी ढाँचे में निहित है। बुनियादी ढाँचे की बात करते समय आमतौर पर सड़कों और पुलों की कल्पना की जाती है, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं व्यापक है। इसमें विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति, व्यापक डिजिटल नेटवर्क, सुनियोजित और स्मार्ट शहर, तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सामाजिक सेवाएँ भी शामिल हैं। यही सभी घटक हमारी अर्थव्यवस्था और नागरिकों के दैनिक जीवन की आधारशिला हैं।

इस दृष्टि से मिशन 2047 केवल कैलेंडर पर अंकित कोई लक्ष्य नहीं है। यह एक ऐसे मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार भारत की नींव रखने का संकल्प है, जिसमें विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे।

बदलता भारत और बुनियादी ढाँचे की नई भूमिका

पिछले कुछ दशकों में भारत ने बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विस्तृत राजमार्गों और आधुनिक रेल नेटवर्क से लेकर तेजी से विकसित होते हवाई अड्डों और उन्नत डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक, देश में ऐसा परिवर्तन आया है जिसने जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इन सुधारों ने आर्थिक विकास को गति दी है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद की है और करोड़ों लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया है। नए व्यवसायों का विस्तार हुआ है और नवाचार को बढ़ावा मिला है।

फिर भी, ईमानदारी से देखें तो भारत के सामने अभी एक लंबी यात्रा बाकी है। वैश्विक मानकों से तुलना करने पर बुनियादी ढाँचे के कई क्षेत्रों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यदि भारत 2047 तक बहु-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तो बुनियादी ढाँचे की रणनीति को अधिक स्मार्ट, तेज, सम्प्रेषणीय, कुशल और समावेशी बनाना होगा।

परिवहन: एकीकृत और निर्बाध नेटवर्क की आवश्यकता

परिवहन किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारभूत आवश्यकता है। भारत लंबे समय से अपेक्षाकृत ऊँची लॉजिस्टिक्स लागत की चुनौती से जूझ रहा है। यह लागत भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है, विशेषकर तब जब विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात अपेक्षाकृत कम है। इसका समाधान केवल अधिक सड़कें या रेलवे लाइनें बनाना नहीं है। आवश्यकता एक ऐसे एकीकृत, निर्बाध और बुद्धिमान परिवहन तंत्र की है, जिसमें मौजूदा बुनियादी ढाँचे के विभिन्न माध्यम एक-दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से काम करें। इसे एक ऑर्किस्ट्रा की तरह समझा जा सकता है, जहाँ प्रत्येक वाद्य यंत्र का अपना महत्व है, लेकिन सामूहिक तालमेल ही मधुर संगीत पैदा करता है।

उदाहरण के लिए, भारतमाला परियोजना देश के राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। वहीं, 2022 में शुरू की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एन एल पी) का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और बाधाओं को कम करना है। सड़कों और रेल पर निर्भरता

कम करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जब सड़क, रेलवे, बंदरगाह और जलमार्गों को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में विकसित किया जाता है, तो माल और लोगों की आवाजाही अधिक तेज, सस्ती और कुशल हो जाती है। जर्मनी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ राजमार्ग, रेल और जलमार्ग एक-दूसरे से प्रभावी रूप से जुड़े हुए हैं। भारत में वंदे भारत जैसी आधुनिक तेज और अर्ध-तेज रेल सेवाएँ शहरों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बना रही हैं। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना जैसी पहल भविष्य में उच्च गति वाले रेल नेटवर्क की संभावनाओं को दर्शाती हैं। परिवहन के इन माध्यमों के बीच बेहतर संपर्क न केवल शहरी विकास को गति देगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी बाजारों और रोजगार के अवसरों से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ेगा।

ऊर्जा: विकास के साथ स्थिरता का संतुलन

सुदृढ़ और सम्पोषणीय ऊर्जा व्यवस्था भी मिशन 2047 की सफलता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। घरों, स्कूलों और अस्पतालों से लेकर कारखानों, परिवहन और डिजिटल नेटवर्क तक, लगभग हर क्षेत्र विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करता है।

भारत ने विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है और हरित ऊर्जा गलियारे देश के उन क्षेत्रों को ऊर्जा की अधिक माँग वाले क्षेत्रों से जोड़ने में मदद कर रहे हैं जहाँ सौर और पवन ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएँ हैं। इससे राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, औद्योगिकीकरण तेज होगा और अधिक लोगों को आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक पहुँच मिलेगी, ऊर्जा की माँग भी बढ़ेगी। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत अभी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। यह एक चुनौती भी है और विकास की बड़ी संभावना भी।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बढ़ती माँग को पूरा करते हुए बिजली की विश्वसनीयता, वहनीयता और पर्यावरणीय स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और आधुनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। परमाणु ऊर्जा, लघु जलविद्युत परियोजनाएँ, हरित हाइड्रोजन

और पंपड स्टोरेज जैसी तकनीकें भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

ऊर्जा सुरक्षा का संबंध केवल बिजली उत्पादन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से भी है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों तथा आपूर्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव ने आयात पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम को स्पष्ट किया है। इसलिए भारत को घरेलू और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, हरित हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाएँ तलाशना और स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में निवेश करना भारत को अधिक सुरक्षित और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा।

डिजिटल बुनियादी ढाँचा: नई अर्थव्यवस्था की रीढ़

आज बुनियादी ढाँचा केवल सड़क, पुल और बिजली तक सीमित नहीं है। डिजिटल कनेक्टिविटी परिवर्तन की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी है। इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार ने शासन, वित्तीय सेवाओं और सार्वजनिक योजनाओं के संचालन के तरीके को बदल दिया है।

2047 तक लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय को विश्वसनीय और उच्च गति वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो, ताकि कोई भी नागरिक डिजिटल अर्थव्यवस्था से बाहर न रह जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें अब केवल भविष्य की अवधारणाएँ नहीं हैं; उनका उपयोग आज ही विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता और नवाचार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे का अर्थ केवल तेज इंटरनेट नहीं है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी बनाना भी है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क और उच्च गति वाले डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में सुरक्षित और आधुनिक डेटा केंद्रों का विकास, स्पष्ट नीतियों और मजबूत सुरक्षा मानकों के साथ, न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है बल्कि भारत को विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख क्लाउड और डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता है।

शहरीकरण: स्मार्ट ही नहीं, रहने योग्य शहर

भारत में तेजी से हो रहा शहरीकरण अवसरों के साथ-साथ गंभीर चुनौतियाँ भी लेकर आया है। रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप यातायात जाम, वायु प्रदूषण, आवास की कमी और सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ता दबाव दिखाई देता है।

इन चुनौतियों का समाधान केवल शहरों का भौतिक विस्तार करना नहीं है। हमें ऐसी शहरी योजना की आवश्यकता है जो स्मार्ट होने के साथ-साथ समावेशी और रहने योग्य भी हो।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा तकनीक और बुनियादी ढाँचे को जोड़कर शहरी सेवाओं को अधिक कुशल बनाने का अवसर देती है। लेकिन स्मार्ट शहर केवल सेंसर, कैमरे और डिजिटल प्रणालियों से नहीं बनते। किफायती आवास, विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ पानी, प्रभावी स्वच्छता व्यवस्था और खुले हरित क्षेत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने हेतु बेहतर वित्तीय व्यवस्था और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा। कुछ नगर निकायों ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए नगरपालिका बॉन्ड जारी करके एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब इस व्यवस्था को छोटे और मध्यम शहरों तक विस्तार देने की आवश्यकता है। आंशिक ऋण गारंटी जैसी व्यवस्थाएँ छोटे शहरों को पूँजी बाजार तक पहुँच बनाने में मदद कर सकती हैं।

शहरी गैस वितरण और स्मार्ट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाएँ भी नागरिकों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बना सकती हैं। साथ ही, शहरी पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है। दिल्ली में यमुना नदी के पुनरुद्धार जैसे प्रयास यह दर्शाते हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलना आवश्यक है। भारत को ऐसे शहर बनाने होंगे जहाँ सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के माध्यम से मिलकर काम किया जाए और विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि बेहतर जीवन-गुणवत्ता हो।

ग्रामीण भारत: विकास का दूसरा आधार

शहरों की चर्चा के बीच यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की बड़ी आबादी अभी भी गाँवों और छोटे कस्बों में रहती है। इसलिए

ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना शहरी विकास जितना ही महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़कें, विश्वसनीय बिजली, स्वच्छ पेयजल, सिंचाई, भंडारण और तेज इंटरनेट ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। डिजिटल तकनीक किसानों को बाजार की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है। आई टी सी का ई-चौपाल इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

पीएम गति शक्ति जैसी पहल परिवहन, लॉजिस्टिक्स और भंडारण के विभिन्न नेटवर्क को बेहतर ढंग से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण गोदाम और बेहतर बाजार संपर्क जैसे बुनियादी ढाँचे से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उपज की बर्बादी कम करने में मदद मिल सकती है।

पंचायत स्तर पर छोटे और मध्यम आकार के शीत भंडारण केंद्र विकसित किए जा सकते हैं, जिससे फल और सब्जियों को बाजार तक पहुँचने से पहले खराब होने से बचाया जा सके। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप किसानों की ऊर्जा लागत कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, कृषि-पर्यटन, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए स्रोत विकसित किए जा सकते हैं। फसल बीमा, सुलभ ऋण और डिजिटल बाजार मंचों तक आसान पहुँच भी आवश्यक है। मजबूत और तकनीक-सक्षम बाजार संपर्क ग्रामीण भारत की आर्थिक क्षमता को नई दिशा दे सकते हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा: मानव पूँजी में निवेश

किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिक होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा को बुनियादी ढाँचे की व्यापक अवधारणा का अभिन्न हिस्सा मानना होगा। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय अभी भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ता है। 2047 के भारत के लिए ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें गाँवों में मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ हों, जिला स्तर पर गुणवत्तापूर्ण अस्पताल हों और जटिल उपचार के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों का एक प्रभावी नेटवर्क हो। हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से प्राथमिक और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है।

डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियाँ मरीजों को बेहतर और निरंतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में मदद कर सकती हैं। इसी प्रकार, शिक्षा में निवेश के बिना भारत की युवा आबादी की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता।

2047 तक भारत को केवल अधिक अस्पताल और स्कूल नहीं चाहिए, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियाँ चाहिए जो हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करें। यही सामाजिक बुनियादी ढाँचा आर्थिक विकास को मानव विकास में बदलने का माध्यम बनेगा।

सतत और जलवायु-सक्षम बुनियादी ढाँचा

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों के बीच बुनियादी ढाँचे की योजना बनाते समय स्थिरता और आपदा-रोधक क्षमता को शुरुआत से ही शामिल करना आवश्यक है। भविष्य का बुनियादी ढाँचा ऐसा होना चाहिए जो बाढ़, गर्मी, सूखा और अन्य जलवायु जोखिमों का सामना कर सके तथा पर्यावरण पर न्यूनतम दबाव डाले।

यहीं ई एस जी - पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी सिद्धांतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, मेट्रो रेल के विस्तार और ई एस जी -केंद्रित वित्तीय व्यवस्थाओं जैसी पहलों के माध्यम से स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

दुनिया के कई देश कम-कार्बन वाली निर्माण तकनीकों और हरित इस्पात जैसे विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत भी तकनीकी नवाचार को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़कर ऐसी आधारभूत संरचना विकसित कर सकता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ हो।

तकनीक से बेहतर परियोजना प्रबंधन

तकनीक न केवल बुनियादी ढाँचा बनाने के तरीके को बदल रही है, बल्कि उसके संचालन और रखरखाव को भी अधिक प्रभावी बना रही है। स्मार्ट प्रणालियाँ, भू-स्थानिक तकनीक, डिजिटल मॉडलिंग, डेटा विश्लेषण और स्वचालन परियोजनाओं की योजना और निगरानी को अधिक कुशल बना सकते हैं।

इन तकनीकों से लागत और समय की बचत हो सकती है। भारत में

बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के सामने भूमि अधिग्रहण में देरी, जटिल नियामक प्रक्रियाएँ, पर्यावरणीय मंजूरियाँ और कुशल श्रमिकों की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं होगा। सरकार, उद्योग, स्थानीय समुदाय और विशेषज्ञ संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। परियोजनाओं की शुरुआत से ही जोखिमों की पहचान, पारदर्शी अनुबंध व्यवस्था और प्रभावी निगरानी को प्राथमिकता देनी होगी।

नीति सुधार और संस्थागत क्षमता

भारत को बुनियादी ढाँचे के विकास की गति बढ़ाने के लिए साहसिक नीति सुधार, तकनीक का बेहतर उपयोग और मजबूत संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है।

भूमि अधिग्रहण को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना, श्रम संबंधी नियमों को समयानुकूल बनाना तथा अनुबंधों के लिए स्पष्ट और प्रभावी नियम स्थापित करना परियोजनाओं के परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। इसी प्रकार, परियोजनाओं में देरी, लागत वृद्धि या वित्तीय कठिनाइयों जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूत जोखिम प्रबंधन तंत्र आवश्यक हैं।

भारत की विशाल भौगोलिक और सामाजिक विविधता को देखते हुए कोई एक मॉडल पूरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता। कुछ राज्य आधुनिक शहरी परिवहन और उन्नत डिजिटल प्रणालियों के लिए तैयार हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में अभी सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।

इसलिए 2047 की रणनीति स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप, लचीली और क्षेत्र-विशिष्ट होनी चाहिए। यही दृष्टिकोण समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित कर सकता है।

वित्तपोषण: सरकारी संसाधनों से आगे

विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए विशाल पूँजी की आवश्यकता होगी। केवल सरकारी संसाधनों के भरोसे यह लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा। इसलिए निजी पूँजी को आकर्षित करना और नवीन वित्तीय साधनों का विस्तार करना आवश्यक है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), मिश्रित वित्तपोषण और विभिन्न निवेश मंच बुनियादी ढाँचे की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए स्पष्ट

नियम, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और मजबूत संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है, ताकि निवेशकों का विश्वास बढ़े और सार्वजनिक धन का जिम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित हो।

नगर निकायों को भी अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करनी होगी। डबल-एंट्री अकाउंटिंग, बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग और मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल के माध्यम से वे पूँजी बाजार तक अपनी पहुँच बढ़ा सकते हैं। एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग से विशेषज्ञता, तकनीकी सहायता और नवीन वित्तीय मॉडल तक पहुँच मिल सकती है।

भारत द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड)की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, 2047 की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच और अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी।

एकीकृत डेटा व्यवस्था की आवश्यकता

बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में एक और बड़ा अवसर एक एकीकृत और पारदर्शी डेटा प्रणाली विकसित करने का है। वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव और सीख हमेशा व्यवस्थित रूप से दर्ज या साझा नहीं की जाती। इसके कारण एक जैसी गलतियाँ दोहराई जा सकती हैं।

कल्पना कीजिए कि एक साझा डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म हो, जो किसी बुनियादी ढाँचा परियोजना के शुरुआती निविदा चरण से लेकर निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव तक हर चरण का रिकॉर्ड रखे। इस प्रणाली के माध्यम से निवेशक, ऋणदाता, सरकारी एजेंसियाँ और अंतरराष्ट्रीय साझेदार समान और विश्वसनीय जानकारी तक पहुँच सकेंगे।

ईएसजी से संबंधित सूचनाओं को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, जिससे परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। डिजिटल तकनीक और साझा डेटा का प्रभावी उपयोग भारत को बुनियादी ढाँचे की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में अधिक कुशल, पारदर्शी और लचीला बना सकता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बुनियादी ढाँचे की भूमिका

जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका मजबूत होगी, बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता उसकी

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का महत्वपूर्ण निर्धारक बनेगी। आधुनिक बंदरगाह, कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और औद्योगिक गलियारे भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश का प्रमुख केंद्र बना सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निर्यात को गति मिलेगी और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा।

इसलिए बुनियादी ढाँचा अब केवल घरेलू विकास का विषय नहीं है। यह भारत की रणनीतिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है।

निष्कर्ष: 2047 के भारत की नींव

मिशन 2047 एक दीर्घकालिक यात्रा है। बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा होने में कई वर्ष लगते हैं और उनका प्रभाव कई दशकों तक रहता है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर सहयोग, मजबूत संस्थागत व्यवस्था और कठोर निगरानी आवश्यक होगी।

भारत आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में अभी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के भीतर एक विशाल अवसर भी छिपा है। 2047 तक भारत को एक प्रतिस्पर्धी, समृद्ध, लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए केवल अलग-अलग परियोजनाएँ पर्याप्त नहीं होंगी। इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टि, प्रभावी योजना, कुशल क्रियान्वयन, संस्थागत सुधार और सतत नवाचार की आवश्यकता होगी।

बुनियादी ढाँचा इस परिवर्तन का केंद्रीय स्तंभ बनेगा। यह आर्थिक विकास को गति देगा, सामाजिक समावेशन को मजबूत करेगा और भारत की वैश्विक स्थिति को नई ऊँचाई देगा। विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के साथ-साथ मजबूत संस्थानों, कुशल मानव संसाधन और नवीन वित्तीय व्यवस्थाओं का विकास भी आवश्यक है।

भारत यदि इन सभी क्षेत्रों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाता है, तो वह 2047 तक अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकता है।

मिशन 2047 केवल विकसित भारत का सपना नहीं है; यह उस भारत की नींव रखने का अवसर है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी रूप से सक्षम, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और हर नागरिक के लिए अवसरों से भरपूर हो। ●

संकल्प यही दोहराना है



आन तिरंगे की रखनी है,
 शान तिरंगे की रखनी है,
 हमको तो सबसे ऊंची,
 पहचान तिरंगे की रखनी है।

मान तिरंगे का रखने को,
 कितने वीरों ने जान गंवाई,
 उनके बलिदानों से ही हमने,
 अनुपम है यह पूंजी पाई।

सौभाग्य हमारा देख रहे,
 हम भारत का यह स्वर्णिम काल,
 सर्वस्व इसे अर्पित कर दें,
 और देखें इसकी त्वरित चाल।

सदियों से जिसकी राह तकी,
 वह स्वप्न मूर्त अब होने लगा,
 हो कोई क्षेत्र, हो कोई मंच,
 भारत का परचम फहराने लगा।

यह समय नहीं सुस्ताने का,
 मिल कर के जोर लगाना है,
 हो विश्वगुरु भारत मेरा,
 संकल्प यही दोहराना है,
 संकल्प यही दोहराना है।

हिन्दी

मन के तारों के पास है तू,
 मेरे भावों की आवाज़ है तू,
 जन-जन की तुझसे अभिव्यक्ति,
 तुझमें ही रोपित संस्कृति।

माँ भारती की सुंदर बिंदी,
 समृद्ध, गहन, भाषा हिन्दी,
 सब भाषाओं की शिरोमणि,
 हर ग्रंथ, छंद में तेरी ध्वनि।

हम दृढ़प्रतिज्ञा करते वादा,
 तेरा नाम सदा ही बढ़ाएंगे,
 हे मातृभाषा, हे जनभाषा,
 तुझे हर पल अब दोहराएंगे।



सपना मोहता सिंघी
 उपाध्यक्ष-कॉर्पोरेट कार्यनीति

जल है, तो कल है

जल है तो कल है,
 वरना हर उपलब्धि विफल है।

जल ही जीवन का सार है,
 हर जीव का यही आधार है।

सहेजें जल की धार को,
 प्रकृति और संसार को।

पैसे पेड़ पर शायद उग भी जाएंगे,
 पर सूखे कंठ को कैसे तराएंगे।

मत रुकिए जल संरक्षण पर,
 बचाइए हर उस कड़ी को, जो जल से जुड़ी है,
 भोजन का हर कण जो सींचा है किसान ने,
 वस्त्र का हर धागा, जिसमें लगता है बहुत पानी,
 मिट्टी का हर कण, जो समाता है जल को खुद में,
 वृक्ष जो खींच लाते हैं बादलों को,
 प्रकृति का हर जीव-जंतु, जो बनाया है प्रभु ने,
 ताकि रहे संतुलन इस धरा पर।

है निर्भर आप ही पर,
 जीवन इस धरा का,
 बचेगा या होगा क्षीण,
 क्योंकि जल है, तो ही कल है। ●



बिश्वोई समाज : प्रकृति और जीवन रक्षा में समर्पित एक परंपरा

I. भूमिका

भारत विविधताओं का देश है, जहाँ अनेक धर्म, जातियाँ, भाषाएँ और संस्कृतियाँ मिलकर एक अद्वितीय सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। इस विविधता में एकता बनाए रखने के लिए सामाजिक समरसता का विशेष महत्व है। सामाजिक समरसता का अर्थ है—समाज के सभी वर्गों में आपसी प्रेम, भाईचारा, सहयोग, समानता और सद्भाव की भावना का विकास। हमारे देश में अनेक ऐसे समुदाय हैं, जिन्होंने अपने आदर्शों और जीवन-मूल्यों के माध्यम से सामाजिक समरसता को सशक्त बनाया है। इनमें विश्वोई समाज का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है।

बिश्वोई समाज मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करता है, परंतु इसकी पहचान केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह समाज प्रकृति-प्रेम, वन्यजीव संरक्षण, जीव-दया और अहिंसा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब विश्वोई समाज सदियों से इन मूल्यों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर जीता आया है।

II. विश्वोई समाज का परिचय

बिश्वोई समाज की स्थापना 15वीं शताब्दी में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गाँव में जन्मे संत गुरु जांभेश्वर भगवान, जिन्हें जांभोजी के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। उन्होंने मानव जीवन को नैतिक, अनुशासित और प्रकृति के अनुकूल बनाने के लिए 29 नियमों का प्रतिपादन किया। 'बिश्वोई' नाम को सामान्यतः 'बीस' और 'नौ', अर्थात् 29 नियमों से जोड़ा जाता है। ये नियम केवल धार्मिक अनुशासन नहीं हैं, बल्कि जीवन, समाज और प्रकृति के



यतेन्द्र सिंह

वरिष्ठ विश्लेषक-अनुपालन

बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक व्यापक जीवन-दर्शन प्रस्तुत करते हैं।

III. स्थापना की पृष्ठभूमि

15वीं शताब्दी में राजस्थान का क्षेत्र अकाल, सामाजिक कुरीतियों, पशु हिंसा और पर्यावरणीय संकट जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। गुरु जांभोजी ने अनुभव किया कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। उन्होंने लोगों को जीव-दया, वृक्ष-संरक्षण, सत्य, शुचिता, संयम और सदाचार का मार्ग अपनाने का संदेश दिया।

उनकी शिक्षाओं में सत्य, अहिंसा, दया, सेवा, स्वच्छता, सदाचार, जीव-रक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों को विशेष स्थान दिया गया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और भेदभाव को दूर करने तथा मानवता को सर्वोपरि रखने का प्रयास किया। ऐतिहासिक रूप से विश्वोई पंथ में राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न समुदायों के लोग जुड़े। इनमें जाट और राजपूत समुदायों के लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे।

IV. विश्वोई समाज के मूल सिद्धांत

गुरु जांभोजी द्वारा दिए गए 29 नियम एक संपूर्ण जीवन-दर्शन प्रस्तुत करते हैं। इनमें व्यक्तिगत अनुशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य,

नैतिकता, सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक जीवन और पर्यावरण संरक्षण का समन्वय दिखाई देता है। इन नियमों के प्रमुख पक्ष इस प्रकार हैं—

1. व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य

बिश्नोई जीवन-पद्धति में स्वच्छता, संयम और अनुशासन को विशेष महत्व दिया गया है। नियमित स्नान, शारीरिक एवं वस्त्रों की स्वच्छता तथा शुद्ध और छने हुए जल के प्रयोग जैसी परंपराएँ इसी जीवन-दृष्टि का हिस्सा हैं।

2. सामाजिक एवं नैतिक आचरण

सत्य बोलना, संतोषी जीवन जीना, क्षमा का भाव रखना, क्रोध पर नियंत्रण करना तथा चोरी, निंदा और झूठ से दूर रहना बिश्नोई जीवन-मूल्यों के प्रमुख अंग हैं। नशे से दूरी भी इन सिद्धांतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अफीम, तंबाकू, भांग और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने पर बल दिया गया है। नीले वस्त्र से परहेज की परंपरा भी बिश्नोई समाज में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका संबंध पारंपरिक रूप से नील की खेती और उससे जुड़ी पर्यावरणीय हानि से माना जाता है।

3. जीव एवं पर्यावरण संरक्षण

बिश्नोई दर्शन की सबसे विशिष्ट विशेषता जीव-जगत और प्रकृति के प्रति गहरी करुणा है।

इसके प्रमुख सिद्धांत हैं—

- हरे वृक्षों को न काटना।
- पशु-वध से दूर रहना और शाकाहारी जीवन अपनाना।
- वन्यजीवों की रक्षा करना।
- जीव-जंतुओं के प्रति करुणा और संवेदना रखना।
- पशुओं के साथ अनावश्यक क्रूरता न करना।
- प्रकृति के संसाधनों का संयमित उपयोग करना।

चिंकारा और कृष्ण मृग जैसे वन्यजीवों के संरक्षण में बिश्नोई समाज की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है।

V. सामाजिक समरसता में बिश्नोई समाज की भूमिका

समानता और भाईचारे का संदेश

बिश्नोई समाज की प्रमुख विशेषताओं में सभी मनुष्यों के प्रति समान दृष्टि, प्रेम और सहयोग की भावना शामिल है। गुरु जांभोजी की शिक्षाएँ मानव जीवन को नैतिकता, करुणा और सदाचार से जोड़ती हैं।

समाज में उत्पन्न होने वाले मतभेदों को संवाद, क्षमा और सद्भावना के माध्यम से दूर करने की भावना सामाजिक समरसता को मजबूत

करती है। यही कारण है कि बिश्नोई समाज सामाजिक एकता और सह-अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।

पर्यावरण संरक्षण का अद्वितीय उदाहरण

बिश्नोई समाज का पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में दर्ज है। वर्ष 1730 में राजस्थान के खेजड़ली गाँव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोई स्त्री-पुरुषों ने खेजड़ली वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनसे जुड़ा प्रसिद्ध कथन है—

“सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण।”

अर्थात्, यदि वृक्ष बचाने के लिए सिर भी कट जाए, तो यह सौदा सस्ता है। यह कथन प्रकृति के प्रति उस असाधारण प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया, जिसमें वृक्षों और जीव-जंतुओं की रक्षा को अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया।

जीवों के प्रति करुणा

बिश्नोई समाज केवल वृक्षों की रक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वन्यजीव संरक्षण में भी उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हिरण, चिंकारा, कृष्ण मृग, मोर और अन्य वन्यजीवों के प्रति समाज में गहरी संवेदना दिखाई देती है। बिश्नोई परिवारों द्वारा घायल या अनाथ वन्यजीवों की देखभाल करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उनके लिए पशु-पक्षी केवल वन्यजीव नहीं, बल्कि जीवन के सहचर और परिवार का हिस्सा हैं। जोधपुर तथा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में वन्यजीवों के अवैध शिकार के विरुद्ध बिश्नोई समाज की सक्रियता भी उल्लेखनीय रही है। कृष्ण मृग शिकार से जुड़े चर्चित कानूनी मामले में भी बिश्नोई समुदाय की सक्रिय भूमिका सामने आई। इस प्रकार समाज ने यह स्पष्ट किया कि उसके सिद्धांत केवल पुस्तकीय विचार नहीं, बल्कि व्यवहार में उतारे जाने वाले जीवन-मूल्य हैं।

सेवा और सहयोग की परंपरा

बिश्नोई समाज विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी करता है। जरूरतमंदों की सहायता, रक्तदान, गौसेवा, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य तथा गरीबों की मदद जैसे अनेक कार्यों के माध्यम से सेवा और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाया जाता है। सेवा की यह भावना सामाजिक समरसता की आधारशिला है, क्योंकि इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास, सहयोग और भाईचारा मजबूत होता है।

VI. खेजड़ली बलिदान: “सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण”

बलिदान की पृष्ठभूमि

वर्ष 1730 में मारवाड़ के शासक महाराजा अभयसिंह के आदेश पर

खेजड़ली क्षेत्र में खेजड़ी वृक्षों की कटाई का प्रयास किया गया। वृक्षों की लकड़ी का उपयोग महल के निर्माण तथा चूना तैयार करने के लिए किया जाना था। जब खेजड़ली गाँव की अमृता देवी बिश्रोई को इस बात का पता चला, तो उन्होंने वृक्षों की कटाई का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वृक्षों की रक्षा करना उनके धर्म और जीवन-मूल्यों का हिस्सा है।

अमृता देवी का अद्भुत साहस

अमृता देवी एक खेजड़ी वृक्ष से लिपट गईं। इसी प्रसंग से उनका प्रसिद्ध कथन इतिहास में अमर हुआ—

“सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण।”

अर्थात्, यदि वृक्ष की रक्षा के लिए सिर भी कट जाए, तो यह सौदा सस्ता है। अमृता देवी और उनके साथियों के विरोध के बावजूद सैनिकों ने वृक्षों की कटाई जारी रखी। अमृता देवी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसके बाद उनकी तीन पुत्रियाँ—आसू, रतनी और भागू—भी वृक्षों से लिपट गईं और उन्होंने भी अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

363 लोगों का सामूहिक बलिदान

अमृता देवी और उनकी पुत्रियों के बलिदान का समाचार आसपास के बिश्रोई गाँवों में फैल गया। बड़ी संख्या में लोग खेजड़ली पहुँचे और उन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का संकल्प लिया। लोग एक-एक करके वृक्षों से चिपकते गए और सैनिक वृक्षों को काटते हुए उनके प्राण लेते गए। इस प्रकार कुल 363 बिश्रोई स्त्री-पुरुषों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस पूरे प्रतिरोध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका अहिंसक स्वरूप था। बिश्रोई समुदाय ने हथियार उठाने के बजाय अपने शरीर को वृक्षों की ढाल बना दिया।



महाराजा का पश्चाताप

जब यह समाचार महाराजा अभयसिंह तक पहुँचा, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने वृक्षों की कटाई रुकवाई और बिश्रोई समुदाय के

प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। परंपरा के अनुसार इसके बाद बिश्रोई क्षेत्रों में हरे वृक्षों की कटाई और वन्यजीवों के शिकार पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किए गए।

खेजड़ली बलिदान का महत्व

खेजड़ली का बलिदान भारतीय पर्यावरणीय चेतना के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलनों से बहुत पहले प्रकृति की रक्षा के लिए किए गए संगठित और अहिंसक प्रतिरोध के एक असाधारण उदाहरण के रूप में देखा जाता है। बाद के दशकों में उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन भी वृक्षों से चिपककर उनकी रक्षा करने की इसी प्रतीकात्मक पद्धति के लिए जाना गया। खेजड़ली की घटना को चिपको आंदोलन की प्रेरणाओं में से एक माना जाता है। 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, इस तिथि का संबंध 1730 में खेजड़ली में अमृता देवी के नेतृत्व में हुए बिश्रोई बलिदान से भी है। भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्रोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किया जाता रहा है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान और साहस को सम्मानित करना है।

VII. वर्तमान समय में बिश्रोई समाज का योगदान

आज जब समाज सामाजिक विभाजन, पर्यावरण संकट, हिंसा, उपभोक्तावाद और स्वार्थपरता जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब बिश्रोई समाज के आदर्श और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। बिश्रोई समाज के लोग वन्यजीव संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संबंधी जनजागरूकता के विभिन्न प्रयासों में सक्रिय दिखाई देते हैं। आधुनिकता के दौर में भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन-मूल्यों को बनाए रखना इस समाज की विशिष्ट पहचान है। बिश्रोई समाज का जीवन हमें यह संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं या कानूनों का विषय नहीं है; यह प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन और सामाजिक संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए।

VIII. सामाजिक समरसता के लिए बिश्रोई समाज से सीख

बिश्रोई समाज हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएँ देता है—

1. सभी मनुष्यों के प्रति समान व्यवहार करना।
2. जीव-जंतुओं के प्रति दया और करुणा रखना।
3. प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना।
4. सेवा, सहयोग और त्याग की भावना विकसित करना।
5. समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना।
6. नैतिक मूल्यों और संस्कारों का पालन करना।

7. व्यक्तिगत जीवन में संयम और सादगी को स्थान देना।
8. प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की भावना विकसित करना।

यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाए, तो एक अधिक समरस, शांतिपूर्ण, संवेदनशील और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है।

IX. बिश्रोई समाज से मिलने वाली समकालीन सीख

आज के युग में, जब मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जंगलों का क्षरण हो रहा है, अनेक वन्यजीव संकट में हैं और जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती बन चुका है, तब बिश्रोई समाज की जीवन-दृष्टि हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है।

1. प्रकृति और मनुष्य का संबंध पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं।
बिश्रोई दर्शन मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका संरक्षक मानने की प्रेरणा देता है।
2. छोटे नियमों से बड़ा परिवर्तन संभव है।
29 नियमों पर आधारित जीवन-पद्धति ने एक समुदाय को सदियों तक प्रकृति और जीव-जगत के प्रति संवेदनशील बनाए रखा।
3. सिद्धांतों के लिए त्याग आवश्यक है।
खेजड़ली का बलिदान सिखाता है कि नैतिक मूल्यों और प्रकृति की रक्षा के प्रश्न पर व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए।
4. सादगी में ही सच्ची समृद्धि है।
बिश्रोई समाज का सरल, संतोषी और अनुशासित जीवन आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।
5. करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
सभी जीवों के प्रति संवेदना और सह-अस्तित्व की भावना ही वास्तव में व्यापक मानवता का आधार है।

X. उपसंहार

सामाजिक समरसता किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। बिश्रोई समाज ने अपने आचरण, सेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि सच्ची धार्मिक और सामाजिक चेतना मानवता, प्रकृति तथा समस्त जीव-जगत के प्रति करुणा और उत्तरदायित्व में निहित है।

गुरु जांभोजी के 29 नियम आज भी समाज को नैतिकता, संयम,

सद्भाव और प्रकृति-सम्मत जीवन का मार्ग दिखाते हैं। बिश्रोई समाज भारतीय संस्कृति का एक उज्ज्वल अध्याय है, जिसने सामाजिक समरसता को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया।

खेजड़ली के बलिदान से लेकर आज तक, बिश्रोई समाज ने अपने कर्मों से यह संदेश दिया है कि जीवन की रक्षा केवल मनुष्य के जीवन तक सीमित नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्ष और प्रकृति—सभी जीवन-चक्र के अभिन्न अंग हैं। आज जब संपूर्ण विश्व “सतत विकास” की बात कर रहा है, तब बिश्रोई समाज का जीवन-दर्शन हमें यह स्मरण कराता है कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन कोई नया विचार नहीं है। भारतीय समाज की अनेक परंपराओं में यह चेतना सदियों से विद्यमान रही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम इन परंपराओं को समझें, उनसे सीखें और उन्हें आधुनिक संदर्भ में अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ। समाज में बिश्रोई समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है जिसकी झलक निम्नलिखित व्यक्तित्व के रूप में देखी जा सकती है।

1. गुरु जांभेश्वर (जांभोजी) — बिश्रोई पंथ के संस्थापक एवं 29 नियमों के प्रवर्तक
2. अमृता देवी बिश्रोई — 1730 के खेजड़ली बलिदान की प्रमुख वीरांगना, जिन्होंने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए
3. चौधरी भजन लाल बिश्रोई — हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
4. लज्जा राम बिश्रोई — पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), मेघालय
5. न्यायमूर्ति विजय बिश्रोई — भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश; इससे पूर्व वे गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे
6. पूजा बिश्रोई — युवा एथलीट और लंबी दूरी की धावक
7. राधेश्याम बिश्रोई — वन्यजीव संरक्षण एवं पशु-बचाव कार्यों के लिए प्रसिद्ध
8. खामु राम बिश्रोई — पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक विरोधी अभियानों के लिए जाने जाते हैं
9. रवि बिश्रोई — भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर
10. परी बिश्रोई — राजस्थान की चर्चित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी
11. कृष्ण कुमार बिश्रोई — उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी ●

मेरे प्यारे बेटे की पुण्यस्मृति में
27 अक्टूबर 2010 - 23 अगस्त 2022

सचीन्द्र कुमार राय
कार्यपालक उपाध्यक्ष-
मुख्य अनुपालन अधिकारी



Hi Dad

सूने मन की शांत वेदी पर,
स्मृति-ज्योति जलती है।
विरह-वेदना की वीणा पर,
तेरी ही धुन बजती है।

ओ मेरे बेटे, ओ उजियारे,
हर धड़कन तुझको गाती है।
तेरी कोमल पावन बोली,
आत्मा आरती बन जाती है।

ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे तारे,
तेरी छवि मुस्काती है।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

आँखें जब भी बंद करूँ मैं,
छवि तेरी मुस्काती है।
छूने को जब हाथ बढ़ाऊँ,
हथेली सूनी रह जाती है।

खाली कमरा, खाली राहें,
तेरी आहट गुनगुनाती है।
चुप्पी भी तेरे स्वर धरकर,
भीतर पीर जगाती है।

द्वार खड़ा अब भी चुपचाप,
राह तेरी तकती है।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

नन्हे हाथों में जब तुम थे,
सारी सृष्टि मुस्काती थी।
पहली बार जो "Dad" कहा था,
आत्मा आरती गाती थी।

पहला कदम बढ़ाया तुमने,
धरती फूल बिछाती थी।
एक-एक पग की पायल-लय,
मन-कलियाँ खिल जाती थीं।

तेरी पहली किलकारी से,
भोर सुनहरी छा जाती थी।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

छोटी-छोटी तेरी बातें,
घर को तीर्थ बनाती थीं।
तेरी हँसी की उजली आहट,
थकी साँस सहलाती थी।

ऑफिस से जब घर लौटता,
तू "Hi Dad" पुकारता था।
नन्हे हाथों में जल लेकर,
दौड़ता हुआ आ जाता था।

दिन भर की धूप-धूल सारी,
तेरी मुस्कान हर लेती थी।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

जब मेरी तबीयत बिगड़ती,
तू सबसे अधिक घबराता था।
नन्हे हाथों से सिर दबाकर,
चुपचाप पास बैठ जाता था।

छोटी उम्र में भी बेटे,
कितनी निर्मल समझ थी तेरी।
मेरे दर्द को अपना मानकर,
सेवा ही प्रीति बन जाती थी।

तेरी चिंता की शीतल छाया,
मेरी पीड़ा हर लेती थी।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

-

जब कभी मैं सो जाता था,
तू चुपके पास आ जाता था।
बिना जगाए, बिना बतलाए,
चादर मुझ पर ओढ़ाता था।

नन्हे मन की ऐसी ममता,
शब्दों में कब आती है।
तेरे कोमल स्पर्शों में,
ईश्वर-सी छाया मिल जाती है।

रातों की नीरवता आज भी,
तेरा स्पर्श खोजती है।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

-

नन्ही उम्र में भी तुझमें,
नेतृत्व-ज्योति जलती थी।
सबको साथ लिए चलने की,
सहज कला मुस्काती थी।

दोस्तों से जब मेरी बातें,
तू गर्व से बतलाता था।
"मेरे Dad ऐसे हैं, वैसे हैं,"
कहकर मन मुस्काता था।

मेरे संस्कारों की सरिता,
तेरे भीतर बहती थी।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

-

जब भी कोई शुभ क्षण आता,
तेरी कमी खल जाती है।
हँसी ठहरती अधरों पर,
भीतर नीर छलकाती है।

उत्सव, दीपक, फूल, आरती,
तेरी सुध ले आती है।
खुशियों की उजली चादर भी,
तेरी याद बिछाती है।

तेरे सपनों की धीमी लौ,
मन में अब भी जलती है।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

-

तू गया नहीं, बस नयनों से,
ओझल छवि बन रहती है।
मेरी प्रार्थना की हर लौ में,
तेरी छाया झिलमिलती है।

तेरा होना देह से आगे,
अमर अनुभूति बन जाती है।
वियोग नहीं केवल पीड़ा,
प्रेम-दीक्षा कहलाती है।

काल भले क्षण हर लेता हो,
स्मृति तुझे अमर रखती है।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है।

-



जिस दिन अंतिम साँस ठहरेगी,
राह तुझी तक जाएगी।
तू दौड़कर बाँहों में आएगा,
आत्मा दीप जलाएगी।

ना दूरी होगी, ना आँसू होंगे,
ना विरह-रात रह जाएगी।
तेरी बाँहों की पावन छाया,
जीवन-ज्योति बन जाएगी।

तेरी मुस्कान की अमर किरण,
मृत्यु को मिलन बनाएगी।
एक आवाज़ आज भी आती है,
"Hi Dad" कह जाती है। ●



पुनीत बंसल
उपाध्यक्ष-कॉर्पोरेट कार्यनीति

भारत में जहाज निर्माण : समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक रणनीतिक स्तंभ

वैश्विक समुद्री क्षेत्र स्थिरता, डीकार्बोनाइजेशन और लचीली आपूर्ति श्रृंखला प्राथमिकताओं द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। दुनिया भर में, संस्थागत पूंजी को तेजी से ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) निवेश- (बंदरगाहों, शिपिंग, जहाज निर्माण और समुद्री लॉजिस्टिक्स) की ओर निर्देशित किया जा रहा है। ब्लू बॉन्ड, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और ट्रांजिशन फाइनैंस जैसे इंस्ट्रूमेंट उभरते बाजारों को नेट-जीरो मार्ग के साथ संरेखित करते हुए अपने समुद्री क्षेत्रों को आधुनिक बनाने में सक्षम बना रहे हैं।

ऐतिहासिक रूप से, समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा है। मध्य पूर्व एशिया में हाल के भू-राजनीतिक व्यवधानों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने में शिपिंग एवं समुद्री मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका को और उजागर किया है। इन घटनाओं ने सुरक्षित और कुशल समुद्री व्यापार मार्गों के रणनीतिक महत्व को मजबूत करते हुए कमजोरियों को उजागर किया है।

भारत एक निर्णायक क्षण पर खड़ा है

भारत दुनिया के सबसे बड़े तटों में से एक है। प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों में एक रणनीतिक भौगोलिक स्थान के कारण भारत स्थायी और कुशल समुद्री गतिविधि का केंद्र बनने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है। पीएम गति शक्ति, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और सागरमाला कार्यक्रम जैसी प्रमुख सरकारी पहलों द्वारा भारत ने एक मजबूत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधारशिला रखी है।

हालांकि, समुद्री क्षेत्र अभी भी कम निवेश से बाधित है। मात्रा के

आधार पर भारत का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है, फिर भी समुद्री बुनियादी ढांचा देश के सबसे कम वित्तपोषित क्षेत्रों में से एक है। दशकों से, पूर्वी एशिया में 0.3-0.7% की तुलना में, समुद्री परिसंपत्तियों पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 0.15% था।

द मैरीटाइम इंडिया विज़न (एमआईवी) 2030 ने बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के क्षेत्र में कुल ₹3-3.5 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया है। समुद्री क्षेत्र में निवेश से भारत का हरित टन भार बढ़ने, विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास, जहाज निर्माण और मरम्मत, समुद्री पर्यटन, और अंतर्देशीय शिपिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए, प्रतिस्पर्धी, अंतर्राष्ट्रीय-मानक वित्तपोषण मॉडल को स्केल करने की तत्काल आवश्यकता है, जो निजी और सार्वजनिक पूंजी दोनों को ब्लू इकोनॉमी में खोल सकते हैं।

पारंपरिक रूप से, समुद्री बुनियादी ढांचे का अर्थ बंदरगाह और जहाज था। इस परिभाषा को पिछले कुछ दशकों में गंभीर रूप से चुनौती दी गई है, और इसे तीन संकेंद्रित परतों में विस्तारित किया गया है:

- मुख्य समुद्री परिसंपत्तियां:** बंदरगाह, टर्मिनल, शिपयार्ड, ड्रेजिंग और नेविगेशन सिस्टम
- मैरीटाइम-लिंक्ड लॉजिस्टिक्स:** ड्राई पोर्ट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, मल्टी-मोडल पार्क, फ्रेट कॉरिडोर और वेयरहाउस जो अंदरूनी व्यापार को तट से जोड़ते हैं

3. विस्तारित ब्लू इकोनॉमी: अपतटीय पवन फार्म, हरित-ईंधन बंकर, जहाज पुनर्चक्रण, मत्स्य पालन और जलवायु-लचीला तटीय विकास

जहाज निर्माण: प्रमुख पैरामीटर (मानदंड)

जहाज निर्माण उद्योग का मूल्यांकन आमतौर पर मुख्य मापदंडों के एक सेट में किया जाता है जो इसकी क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता और समुद्री मांग के साथ संरेखण को दर्शाते हैं।

1. निर्मित जहाजों के प्रकार: एक प्रमुख पैरामीटर निर्मित जहाजों का प्रकार है, जो किसी देश के शिपयार्ड की तकनीकी गहराई और बाजार की स्थिति को दर्शाता है। इनमें बुनियादी जहाजों जैसे थोक वाहक और टैंकर से लेकर कंटेनर जहाजों, अपतटीय सहायता जहाजों, नौसेना के जहाजों और एलएनजी/एलपीजी जहाजों जैसे विशेष वाहक सहित अधिक जटिल जहाजों तक शामिल हैं। उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से परिष्कृत जहाजों के निर्माण की क्षमता उन्नत डिजाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाती है।

2. तकनीकी क्षमता: आधुनिक जहाज निर्माण मॉड्यूलर निर्माण तकनीकों, डिजिटल जहाज डिजाइन, स्वचालन, रोबोटिक्स और उन्नत सामग्री पर निर्भर करता है। सॉफ्टवेयर-संचालित डिजाइन सिस्टम और सटीक इंजीनियरिंग का एकीकरण उत्पादकता को बढ़ाता है, निर्माण समय को कम करता है और गुणवत्ता में सुधार करता है। तकनीकी क्षमता अपनाने के उच्च स्तर वाले शिपयार्ड वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, विशेष रूप से हरित जहाजों में।

3. उत्पादन क्षमता और बुनियादी ढांचा: यह उस पैमाने को परिभाषित करता है जिस पर शिपयार्ड काम कर सकते हैं। इसमें ड्राई डॉक, स्लिपवे, फैब्रिकेशन सुविधाएं और आउटफिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। क्षमता को अक्सर डेडवेट टनेज (डीडव्यूटी) या सालाना परिदृष्ट (डिलीवरी) जहाजों की संख्या के संदर्भ में मापा जाता है। बड़े और अधिक कुशल शिपयार्ड पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभान्वित होते हैं, जिससे वे थोक ऑर्डर को संभालने और प्रति-इकाई लागत को कम करने में सक्षम होते हैं।

4. कार्गो प्रकारों की रेंज: यह उद्योग के दिशा-निर्देश को आकार देता है। जहाज निर्माण की मांग वैश्विक व्यापार पैटर्न से निकटता से जुड़ी हुई है, जिसमें ड्राई बल्क (कोयला, लौह अयस्क), लिक्विड बल्क (कच्चा तेल, रसायन), कंटेनराइज्ड कार्गो और लिक्विफाइड

गैसों जैसे विशेष कार्गो शामिल हैं। शिपयार्ड जो विविध कार्गो सेगमेंट को पूरा कर सकते हैं, वैश्विक व्यापार में चक्रीय उतार-चढ़ाव के लिए अधिक लचीले हैं।

जहाज निर्माण उद्योग

भारत के समुद्री परिदृश्य में जहाज निर्माण सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक है। जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी संचालित, कौशल और सामग्री गहन असेंबली संचालन के ऊपर निर्भर करता है। एक श्रम-गहन उद्योग होने के नाते, श्रम की लागत दूसरों की तुलना में देश की प्रतिस्पर्धी स्थिति में एक महत्वपूर्ण निर्धारक भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में, यह उद्योग यूरोप से जापान और फिर कोरिया गणराज्य में स्थानांतरित हो गया है और अब चीन में इसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं।

चीन 16 वर्षों से वैश्विक जहाज निर्माण में अग्रणी रहा है, जिसकी जहाज डिलीवरी 2025 में वैश्विक उत्पादन का 55 प्रतिशत है, इसके बाद दक्षिण कोरिया 28 प्रतिशत और जापान 12 प्रतिशत है। दक्षिण कोरिया हाई-टेक जहाजों में अग्रणी बना हुआ है जबकि जापान सटीक जहाज निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों की हिस्सेदारी लगभग 1 प्रतिशत है और भारत की बाजार हिस्सेदारी 0.06% है।

जहाज निर्माण ने हाल ही में इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए कई देशों का ध्यान आकर्षित किया है। विश्व स्तर पर लगभग 328 ऑपरेशनल शिपयार्ड हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे देश घरेलू रूप से निर्मित जहाजों के विकास में तेजी ला रहे हैं।

भारत का जहाज निर्माण क्षेत्र रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और वाणिज्यिक और विशेष जहाजों को संभालने वाले निजी शिपयार्डों के मिश्रण से संचालित है। देश में 79 शिपयार्ड हैं, जिनमें से 7 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तहत, 2 राज्य सरकारों के तहत और 70 निजी क्षेत्र के तहत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। निजी क्षेत्र अधिक खंडित है। निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां - एल एंड टी शिपबिल्डिंग, सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड., रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड, चौगुले एंड कंपनी लिमिटेड., टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड., विजय मरीन सर्विसेज, मंडोवी



ड्राई डॉक्स लिमिटेड., और डेम्पो शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड अदि हैं।

जहाज मरम्मत उद्योग

शिप-मरम्मत सेवा, अधिकांश शिपयार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली एक पूरक सेवा, एक श्रम गहन गतिविधि भी है जो निवेश की गई पूंजी पर अतिरिक्त रिटर्न प्रदान करने के लिए मौजूदा जहाज निर्माण बुनियादी ढांचे का उपयोग करती है। चीन, सिंगापुर, कोरिया और मध्य पूर्व में शिपयार्ड हमेशा जहाज मरम्मत उद्योग में सबसे आगे रहे हैं। यह काफी हद तक कुशल कार्यबल की उपलब्धता और तकनीकी सुधारों के कारण है।

भारतीय जहाज मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का श्रेय सिंगापुर में प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत यार्ड की उपस्थिति को दिया जा सकता है। मध्य पूर्व एशिया (दुबई, बहरीन), चीन, कोलंबो इत्यादि जहाजों की मरम्मत के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। इन नुकसानों के कारण, देश में केवल 5 से 6 शिपयार्ड ही किसी भी महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य को कर सकते हैं।

हालांकि, जहाज की मरम्मत और रखरखाव सेवा के लिए वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के बाजारों में विकास से समर्थित है। हालांकि वैश्विक जहाज मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 1 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन देश प्रमुख व्यापार मार्गों/शिपिंग मार्गों के संबंध में अनुकूल रूप से स्थित है, जिसमें वैश्विक व्यापार का 7 से 9 प्रतिशत समुद्र तट के 300 नॉटिकल माइल्स (एनएम) के भीतर से गुजरता है। इसके अलावा, भारत रक्षा खंड में मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो भारतीय रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं दोनों को जहाज मरम्मत सेवाएं प्रदान करता है। हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) को संरक्षित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है।

जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नीतिगत पहल की गयी हैं जिनके कारण मेरीटाइम क्षेत्र में

सकारात्मक प्रभाव दिखने की अपेक्षा है:

1. जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016)
2. भारतीय शिपयार्ड को अस्वीकार करने का अधिकार (2016)
3. शिपयार्ड को बुनियादी ढांचे का दर्जा देना (2016)
4. टग की चार्टरिंग/खरीद के लिए एसओपी (2020)
5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों (डीएसएफवी) की खरीद के लिए एसओपी
6. जहाजों के चार्टर में पहले इनकार का अधिकार प्रदान करना
7. सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), आदेश 2017, 2020 में संशोधित
8. जहाजों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देना (2025)

मेरीटाइम इंडिया विज़न 2030 में भारतीय जहाज निर्माण को 2025 तक एक निर्धारित वॉल्यूम तक पहुंचने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी बनाने की परिकल्पना की गई है। भारत को "मेक फॉर द वर्ल्ड" और दुनिया के टॉप 10 शिपबिल्डिंग देशों में से एक बनाने की परिकल्पना भी की गयी है। इसके अलावा, एक मजबूत घरेलू जहाज निर्माण उद्योग भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है और विदेशी निर्मित जहाजों पर निर्भरता को कम करता है। प्रमुख पहलों में जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएस) में सुधार, हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, वैश्विक समुद्री समूहों का निर्माण करना और भारतीय निर्मित जहाजों की हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल है।

जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग में चुनौतियां

1. सीमित पैमाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: दक्षिण कोरिया और चीन जैसे वैश्विक नेताओं की तुलना में भारत का जहाज निर्माण उद्योग अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर काम करता है। घरेलू शिपयार्ड में अक्सर लागत और बनाने और बनाने की परिकल्पना

भी की गयी है समय सीमा पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक क्षमता और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की कमी होती है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय शिपबिल्डर्स अधिक प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के ऑर्डर खो देते हैं। कई निजी शिपयार्डों के टूटने और इन्सॉल्वेंसी के परिणामस्वरूप क्षमता का क्षरण हुआ है।

2. उच्च लागत संरचना और सीमित लागत दक्षता: भारत में जहाज निर्माण वैश्विक साथियों की तुलना में उच्च इनपुट और वित्तपोषण लागत से जुड़ा हुआ है। महंगे स्टील, पूंजी की उच्च लागत और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अक्षमता जैसे कारक परियोजना लागत में वृद्धि में योगदान करते हैं। यह वैश्विक बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा को कम करता है और निर्यात क्षमता को प्रभावित करता है।

3. लंबी अवधि के वित्तपोषण तक सीमित पहुंच: शिपबिल्डिंग एक पूंजी-गहन उद्योग है, जिसमें परिपक्वता की लंबी अवधि होती है, जिसके लिए, लंबी अवधि के वित्तपोषण तक पहुंच की आवश्यकता होती है। हालांकि, क्षेत्रीय जोखिमों और वित्तीय तनाव के पिछले उदाहरणों के कारण भारतीय शिपयार्डों को किफायती क्रेडिट हासिल करने में बाधाओं का सामना करना रहा है। संरचित वित्तपोषण उत्पादों की सीमित उपलब्धता आदेश निष्पादन और क्षमता विस्तार को और बाधित करती है।

4. प्रौद्योगिकी अंतराल और कम अनुसंधान एवं विकास निवेश: उन्नत जहाज डिजाइन, ऑटोमेशन (स्वचालन) और मॉड्यूलर निर्माण प्रौद्योगिकियों के मामले में भारतीय शिपयार्ड वैश्विक कंपनियों से पीछे हैं। अनुसंधान और विकास में निवेश अपेक्षाकृत कम रहता है, जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह तकनीकी अंतर एलएनजी वाहक और विशेष जहाजों जैसे जटिल, उच्च मूल्य वाले जहाजों के निर्माण की भारत की क्षमता को सीमित करता है।

नीतिगत हस्तक्षेप और सिफारिशों की आवश्यकता

1. क्लस्टर-आधारित विकास के माध्यम से पैमाने में वृद्धि: सरकार को ड्राई डॉक्स, परीक्षण सुविधाओं और रसद सहायता जैसे सामान्य बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत जहाज निर्माण समूहों को बढ़ावा देना चाहिए। क्षेत्रीय समुद्री हब विकसित करने से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। क्लस्टर आधारित विकास सहायक उद्योगों को भी मजबूत करेगा और आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा।

सागरमाला कार्यक्रम के तहत किए गए अध्ययनों के आधार पर, सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में एक समुद्री क्लस्टर के विकास के लिए तमिलनाडु को लक्षित किया गया है। एशिया और यूरोप के बीच प्रमुख शिपिंग मार्गों की निकटता, आसपास के क्षेत्र में स्टील उद्योग, शिपयार्ड और बंदरगाहों की उपस्थिति जैसे कारक तमिलनाडु में एक समुद्री क्लस्टर के विकास के पक्ष में हैं। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) अहमदाबाद या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) सिटी में मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर के साथ-साथ भावनगर में एक मरीन शिपबिल्डिंग पार्क विकसित करने पर भी काम कर रहा है।

2. जहाज निर्माण के लिए समर्पित वित्तपोषण ढांचा: उच्च पूंजी तीव्रता, लंबी परिपक्वता अवधि और चक्रीय मांग पैटर्न को देखते हुए, जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए एक समर्पित वित्तपोषण ढांचा स्थापित करना महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर, जहाज निर्माण परियोजनाओं को आमतौर पर 10-20 वर्षों के लंबी अवधि के ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जबकि भारत में, ऐसी पूंजी तक पहुंच सीमित रहती है, जिसमें अधिकांश बैंक ऋण कम परिपक्वता में केंद्रित होते हैं। क्रेडिट एन्हांसमेंट, टेक-आउट फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट जैसे इंस्ट्रूमेंट विकसित करने से बैंकेबिलिटी में सुधार हो सकता है और पूंजी की लागत कम हो सकती है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक जैसे संस्थान मिश्रित वित्त समाधानों की संरचना करके और निजी पूंजी को आकर्षित करके उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गिफ्ट सिटी जैसे हब में शिप लीजिंग और समुद्री वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने से वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वित्तपोषण प्रथाओं के साथ संरेखित करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

भारत में जहाज निर्माण व्यापक समुद्री क्षेत्र के विकास और आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है। अपनी अपेक्षाकृत मामूली वैश्विक हिस्सेदारी के बावजूद, इस क्षेत्र में भारत की लंबी तटरेखा, बढ़ते व्यापार की मात्रा, और औद्योगिक विस्तार भारत में जहाज निर्माण के विस्तार की क्षमता दर्शाते हैं। घरेलू जहाज निर्माण को मजबूत करने से विदेशी यार्ड पर निर्भरता कम हो सकती है। स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है और कुशल और अर्ध-कुशल क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार पैदा हो सकता है। ●

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)

महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य

दो भाषाएँ
सशक्त प्रशासन
समावेशी भारत

प्रोत्साहन, मैंने यह नया आदेश देखा। यह तो सिर्फ अंग्रेजी में है। क्या यह ठीक है?

नहीं, यदि यह धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाला दस्तावेज है, तो इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है।

चलो, धारा 3(3) को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि किन-किन दस्तावेजों में दोनों भाषाओं का प्रयोग जरूरी है।

प्रेरणा

प्रोत्साहन

धारा 3(3) का उद्देश्य:

इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को केवल अंग्रेजी में जारी न करके, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाए, ताकि दोनों भाषाओं का प्रयोग बना रहे और सभी के लिए सरकारी सूचना सुलभ हो।

1 संकल्प (Resolutions)

जैसे सरकार किसी नई योजना को मंजूरी देने का संकल्प पारित करे।

ऐसे संकल्प को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाएगा।

संकल्प
Resolution

2 सामान्य आदेश (General Orders)

जैसे कार्यालय समय में परिवर्तन का आदेश, अवकाश की घोषणा आदि।

ऐसे सामान्य आदेश दोनों भाषाओं में होंगे।

सामान्य आदेश
General Order

3 नियम (Rules)

जैसे किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए नए नियम बनाए जाएँ।

सभी नियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना अनिवार्य है।

नियम
Rule

4 अधिसूचनाएँ (Notifications)

जैसे किसी योजना की अंतिम तिथि बढ़ाने या नीति में बदलाव की सूचना।

ऐसी अधिसूचनाएँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगी।

अधिसूचना
Notification

5 प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें (Administrative & other Reports)

जैसे वार्षिक रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, लेखा रिपोर्ट आदि।

ऐसी सभी रिपोर्टें दोनों भाषाओं में तैयार की जाएंगी।

प्रशासनिक प्रतिवेदन
Administrative Report

6 प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiqués)

जैसे सरकार किसी महत्वपूर्ण निर्णय या उपलब्धि की जानकारी मीडिया को दे।

ऐसी प्रेस विज्ञप्तियाँ भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी होंगी।

प्रेस विज्ञप्ति
Press Communiqué

7 संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें और राजकीय कागजात (Reports & Papers laid before Parliament)

जैसे वार्षिक रिपोर्ट, नीतिगत प्रतिवेदन या अन्य महत्वपूर्ण कागजात जो संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं।

ये सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराए जानो अनिवार्य हैं।

संसद के समक्ष
रखा जाने वाला प्रतिवेदन
Report Laid Before
Parliament

8

संविदाएं (Contracts)

जैसे किसी कंपनी के साथ परियोजना कार्य के लिए संविदा किया जाए।

ऐसी सभी संविदाएँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगी।



9

करार (Agreements)

जैसे किसी संस्था के साथ सहयोग या सेवा के लिए करार किया जाए।

सभी करार दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे।



10

अनुज्ञप्ति (Licences)

जैसे किसी सेवा, व्यापार या गतिविधि के संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया जाए।

ऐसी अनुज्ञप्तियाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगी।



11

अनुज्ञापत्र (Permits)

जैसे किसी विशेष गतिविधि या प्रवेश के लिए परमिट जारी किया जाता है।

अनुज्ञापत्र भी दोनों भाषाओं में जारी किया जाएगा।



12

सूचनाएं (Notices)

जैसे किसी बैठक, सुनवाई, आवेदन आमंत्रण या अन्य महत्वपूर्ण सूचना जारी करना।

ऐसी सभी सूचनाएँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगी।



13

निविदा सूचनाएं (Tender Notices)

जैसे किसी निर्माण कार्य, सेवा या आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित करना।

निविदा सूचनाएँ भी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है।



14

निविदा प्रपत्र (Tender Forms)

जैसे निविदा में भाग लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र।

निविदा प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराए जाएंगे।



अब समझ आया कि धारा 3(3) कितनी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि जरूरी सरकारी दस्तावेज सभी तक पहुँचें और हिंदी का प्रयोग बना रहें।

बिल्कुल! हम सब का दाविद्ध है कि इन प्रावधानों का पालन करें और राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहन दें।



सबका साथ सबका प्रयास से राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है।●

विप्लव बोहरा
उपाध्यक्ष-
सूचना प्रौद्योगिकी



भारतीय प्रगतिशील काव्य आंदोलन: साहित्य, समाज और मानव मुक्ति का सांस्कृतिक इतिहास

प्रस्तावना

बीसवीं शताब्दी भारतीय साहित्य के इतिहास में केवल रचनात्मक उपलब्धियों का युग नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक जागरण, स्वतंत्रता संघर्ष, लोकतांत्रिक चेतना और मानव मुक्ति के विचारों का भी युग थी। इस काल में साहित्य ने दरबारी संस्कृति और अभिजात्य जीवन की सीमाओं से बाहर निकलकर आम मनुष्य के जीवन, उसके संघर्षों, आशाओं और सपनों को अपना विषय बनाया। इसी परिवर्तन का सबसे सशक्त स्वरूप प्रगतिशील लेखक आंदोलन के रूप में सामने आया।

यदि इस शताब्दी में किसी साहित्यिक आंदोलन ने भारतीय साहित्य को सबसे व्यापक रूप से प्रभावित किया, तो वह था प्रगतिशील लेखक आंदोलन। इस आंदोलन का प्रभाव किसी एक भाषा तक सीमित नहीं था। इसने भारत की विभिन्न भाषाओं के कवियों और लेखकों को एक साझा वैचारिक मंच प्रदान किया, जहाँ साहित्य का उद्देश्य मानवता, समानता और न्याय की स्थापना माना गया।

1930 के दशक में आरम्भ हुआ यह आंदोलन केवल एक साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं था, बल्कि एक व्यापक बौद्धिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप था। इसका उद्देश्य साहित्य को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ना और उसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाना था। इस आंदोलन ने भारतीय कविता को किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों, वंचितों और संघर्षरत मनुष्य की आवाज़ बना दिया।

प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अली सरदार जाफ़री,

कैफ़ी आज़मी, साहिर लुधियानवी, मख़दूम मोहिउद्दीन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह 'दिनकर', सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम और शैलेन्द्र जैसे रचनाकारों ने साहित्य को आम जनता के जीवन से जोड़ने का कार्य किया।

कविता का बदलता स्वरूप

प्रगतिशील आंदोलन से पहले भारतीय कविता का एक बड़ा हिस्सा प्रेम, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत भावनाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित था। प्रगतिशील कवियों ने कविता को नए विषय दिए।

अब कविता में दिखाई देने लगे:

- खेतों में काम करता किसान
- मिलों और कारखानों का मजदूर
- दमन का शिकार स्त्री
- भूख और गरीबी से जूझता नागरिक
- स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत समाज
- जाति और वर्ग व्यवस्था का विरोध
- लोकतंत्र और समानता की आकांक्षा

इस परिवर्तन ने भारतीय कविता को सामाजिक यथार्थ से जोड़ दिया।

कुछ महत्वपूर्ण लेखकों का उल्लेख यहाँ करना अति आवश्यक है:

1. प्रेमचंद और प्रगतिशील चेतना का वैचारिक आधार

भारतीय प्रगतिशील आंदोलन के वैचारिक पुरोधाओं में प्रेमचंद का स्थान सर्वोच्च है। यद्यपि वे मुख्यतः कथाकार थे, किन्तु उनकी दृष्टि ने पूरे आंदोलन को दिशा दी।



प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य जीवन की आलोचना है। उनके अनुसार सच्चा साहित्य वही है जो समाज की पीड़ा को समझे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और मनुष्य के भीतर नैतिक तथा सामाजिक चेतना जगाए।

उन्होंने साहित्य के पारंपरिक नायकों की जगह किसान, मजदूर, स्त्री, दलित और सामान्य नागरिक को केंद्र में स्थापित किया। यही दृष्टि आगे चलकर प्रगतिशील कविता की आत्मा बनी। प्रेमचंद ने साहित्य को मानवतावाद से जोड़ा। उनके विचार में सामाजिक परिवर्तन और साहित्यिक सृजन एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रगतिशील कवियों ने इसी सोच को आगे बढ़ाया।

2. फ़ैज़ अहमद फ़ैज़: प्रेम का सामाजिक विस्तार



प्रगतिशील कविता के इतिहास में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ एक केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने प्रेम को व्यक्तिगत अनुभव से आगे बढ़ाकर सामाजिक करुणा में रूपांतरित कर दिया।

उनकी कविताओं में प्रेमिका की आँखों से लेकर जेल की कालकोठरी तक और व्यक्तिगत दुःख से लेकर जन-संघर्ष तक सब कुछ एक सतत मानवीय अनुभव का हिस्सा बन जाता है। फ़ैज़ की दृष्टि में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी प्रेम का ही एक रूप है। उन्होंने कविता के माध्यम से यह स्थापित किया कि सुंदरता और प्रतिरोध एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। उनकी रचनाएँ आज भी दुनिया भर में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संघर्ष से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं।

3. अली सरदार जाफ़री: लोकतांत्रिक भारत का कवि

अली सरदार जाफ़री भारतीय लोकतांत्रिक चेतना के महत्वपूर्ण कवि थे। वे साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव और मानवतावाद की स्पष्ट



उपस्थिति मिलती है। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। जाफ़री की कविता स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक की यात्रा का दस्तावेज़ प्रतीत होती है। उनकी दृष्टि आशावादी थी और वे साहित्य के माध्यम से एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करते थे।

4. कैफ़ी आज़मी: संघर्ष और प्रतिबद्धता के कवि

कैफ़ी आज़मी भारतीय प्रगतिशील काव्य परंपरा के सबसे प्रतिबद्ध रचनाकारों में गिने जाते हैं।



उन्होंने साहित्य को सीधे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों से जोड़ा। महिलाओं, मजदूरों, किसानों और गरीबों के संघर्षों को उन्होंने अपनी कविता का केंद्र बनाया। कैफ़ी के लिए कविता केवल सौन्दर्यबोध नहीं, बल्कि सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम थी। उनके साहित्य में वैचारिक प्रतिबद्धता और कलात्मक उत्कृष्टता का दुर्लभ संतुलन दिखाई देता है। वे मानते थे कि साहित्य तभी सार्थक है जब वह जीवन को बदलने की प्रेरणा दे।

5. साहिर लुधियानवी: सामाजिक आलोचना का स्वर



साहिर लुधियानवी ने भारतीय कविता और जनसंस्कृति दोनों को गहराई से प्रभावित किया।

उनका साहित्य सामाजिक असमानताओं, युद्ध, शोषण और पाखंड के विरुद्ध तीखा प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। साहिर ने प्रेम को भी सामाजिक संदर्भों में समझा। उनके लिए प्रेम केवल व्यक्तिगत अनुभूति नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता से जुड़ा प्रश्न था।

उनकी रचनाएँ इसलिए लोकप्रिय हुईं क्योंकि वे जटिल सामाजिक प्रश्नों को सरल और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करती थीं।

6. नागार्जुन: जनता के कवि

यदि किसी कवि ने भारतीय जनजीवन को उसकी सम्पूर्ण संघर्षशीलता के साथ कविता में उतारा, तो वह नागार्जुन थे। वे किसान आंदोलनों, ग्रामीण जीवन और आम जनता के दुःख-दर्द के कवि थे। उनकी कविता सत्ता से सवाल करती है और शोषित वर्गों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। नागार्जुन ने साहित्य को अभिजात्य संस्कृति की सीमाओं से मुक्त कर जनता की भाषा और जनता की संवेदना से जोड़ा।



7. रामधारी सिंह 'दिनकर': राष्ट्रीयता और सामाजिक न्याय



दिनकर को सामान्यतः राष्ट्रकवि कहा जाता है, लेकिन उनका महत्व केवल राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं है।

उनकी कविता में वीरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक न्याय और क्रांति की चेतना भी दिखाई देती है। दिनकर ने भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई और युवाओं को सक्रिय नागरिकता का संदेश दिया। उनकी रचनाओं में शक्ति और करुणा का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है।

8. अमृता प्रीतम: मानव पीड़ा और स्त्री चेतना की प्रतिनिधि

भारतीय साहित्य में अमृता प्रीतम का योगदान असाधारण है। उन्होंने विभाजन की त्रासदी, विस्थापन, प्रेम और स्त्री जीवन के अनुभवों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया। उनकी कविता केवल स्त्री की पीड़ा का वर्णन नहीं



करती बल्कि स्वतंत्र पहचान और आत्मसम्मान की खोज भी करती है। अमृता प्रीतम ने भारतीय साहित्य में महिला दृष्टि को एक नई वैचारिक गहराई प्रदान की।

स्त्री विमर्श और प्रगतिशील आंदोलन

प्रगतिशील आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने महिलाओं के प्रश्नों को साहित्यिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। महिला कवियों और लेखिकाओं ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय की अवधारणा महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के बिना अधूरी है। इस धारणा ने भारतीय साहित्य को नया दृष्टिकोण दिया और स्त्री अनुभवों को साहित्यिक वैधता प्रदान की।

विभाजन की त्रासदी और साहित्य

1947 का विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक था। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों परिवार टूट गए और समाज गहरे घावों से भर गया। साहित्यकारों ने इस पीड़ा को गहराई से महसूस किया। प्रगतिशील कवियों ने विभाजन को केवल राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी के रूप में देखा। उनकी रचनाओं में स्मृति, विस्थापन, हिंसा और पुनर्निर्माण के गहरे स्वर सुनाई देते हैं।

प्रगतिशील आंदोलन की उपलब्धियाँ

प्रगतिशील आंदोलन ने भारतीय साहित्य को अनेक स्थायी योगदान दिए:

- साहित्य को समाज के वास्तविक प्रश्नों से जोड़ा।
- किसान, मजदूर और वंचित वर्गों को साहित्य का केंद्र बनाया।
- स्त्री चेतना और सामाजिक समानता के प्रश्नों को प्रमुखता दी।
- मानवाधिकार, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी।
- साहित्य को अधिक जनोन्मुख और उत्तरदायी बनाया।
- कला और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक नई साझेदारी स्थापित की।

निष्कर्ष

भारतीय प्रगतिशील काव्य आंदोलन बीसवीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटनाओं में से एक है। इस आंदोलन ने कविता को केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति की विधा न रहने देकर सामाजिक चेतना और परिवर्तन का माध्यम बनाया। फ़ैज़, सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी, साहिर लुधियानवी, नागार्जुन, दिनकर, अमृता प्रीतम और अनेक अन्य कवियों ने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज से पृथक् नहीं है। वह मनुष्य की स्वतंत्रता, सम्मान, समानता और न्याय के संघर्ष में सक्रिय भागीदार हो सकता है।

आज जब दुनिया नई असमानताओं, सांस्कृतिक तनावों और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब प्रगतिशील कवियों की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि साहित्य का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सौन्दर्य की सृष्टि नहीं, बल्कि मनुष्य को अधिक संवेदनशील, अधिक न्यायप्रिय और अधिक मानवीय बनाना भी है। यह आंदोलन भारतीय साहित्य के इतिहास में मानवता के पक्ष में लिखे गए सबसे प्रभावशाली अध्यायों में से एक रहेगा। ●



சேனாதிபதி ஆர்
விசுலேஷக-பரிசாலன ஜோகிம்

பணியிடப் பண்பாடு தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் நெறிகள்

“யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்”

— கணியன் பூங்குன்றனார், புறநானூறு

பல மொழிகள், மாநிலங்கள், பண்பாடுகள் மற்றும் அனுபவங்களைக் கொண்டவர்கள் ஒரே இலக்கிற்காக இணைந்து பணியாற்றும் இடத்தில், ஒழுக்கம், நேர்மை, இனிய சொல், பரஸ்பர மரியாதை, பணிவு மற்றும் ஒத்துழைப்பு ஆகியவையே நல்ல பணியிடப் பண்பாட்டின் அடித்தளங்கள். இன்று நாம் Workplace Ethics, Teamwork, Leadership என்று குறிப்பிடும் பல நெறிகளைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் காலம் கடந்து நிற்கும் அழகிய சொற்களில் நமக்கு வழங்கியுள்ளன.

ஒழுக்கம் - உயர்வின் அடித்தளம்

“ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஒம்பப் படும்.”

— திருக்குறள்

ஒருவரின் உயர்வு பதவியால் மட்டுமல்ல; அவரது ஒழுக்கத்தாலும் அளவிடப்படுகிறது. நேரம் தவறாமல், பொறுப்பை முழுமையாக நிறைவேற்றுதல், நிறுவன விதிகளை மதித்தல், ரகசியத்தன்மையைக் காத்தல் ஆகியவை தொழில்முறை ஒழுக்கத்தின் அடையாளங்கள். யாரும் பார்க்காதபோதும் சரியானதைச் செய்வதே நேர்மையின் அழகு.

இனிய சொல் - இதமான பணியிடம்

“இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.”

— திருக்குறள்

கருத்து வேறுபாடுகள் இயல்பானவை; அவை மன வேறுபாடுகளாக மாறாமல் பார்த்துக்கொள்வது நம் கையில் உள்ளது. குறையைச் சுட்டிக்காட்டலாம்; கருத்தை மறுக்கலாம்; ஆனால் மனிதரின் மரியாதையைக் குறைக்காமல் பேச வேண்டும். மின்னஞ்சலாக இருந்தாலும், கூட்டமாக இருந்தாலும், நேரடி உரையாடலாக இருந்தாலும் சொல்லும் கருத்தைப் போலவே சொல்லும் முறையும் முக்கியம்.

“தீயினாற் சுட்ட புண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு.”

— திருக்குறள்

ஒளவையாரின் “ஆறுவது சினம்” என்ற இரு சொற்களும் பணியிடத்திற்கான அழகான வழிகாட்டுதல். கோபத்தில் உடனே எதிர்வினையாற்றாமல் நிதானமாகப் பதிலளிப்பது தொழில்முறை முதிர்ச்சியின் அடையாளமாகும்.

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை

பல மாநிலங்கள் மற்றும் பண்பாட்டுப் பின்னணிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இணைந்து செயல்படும் தேசிய அளவிலான நிறுவனத்தில் “யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” என்ற சங்கச் சிந்தனை இன்னும் ஆழமான பொருளைப் பெறுகிறது. மொழி, மாநிலம், பதவி, வயது என வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்; ஆனால் நிறுவனத்தின் இலக்கு அனைவருக்கும் பொதுவானது. ஒவ்வொருவரின் அனுபவத்தையும் தனித்திறனையும் மதித்து இணைந்து செயல்படும்போது வேற்றுமையே நிறுவனத்தின் வலிமையாகிறது.

நன்றியும் அங்கீகாரமும்

“நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று.”

— திருக்குறள்

எந்த வெற்றியும் ஒருவரால் மட்டுமே உருவாவதில்லை. நமக்கு வழிகாட்டியவர், அறிவைப் பகிர்ந்தவர், சரியான நேரத்தில் உதவியவர் எனப் பலரின் பங்களிப்பு அதில் இருக்கும். அவர்களின் உழைப்பை அங்கீகரிப்பதும் வெற்றிக்கான பாராட்டைப் பகிர்ந்துகொள்வதும் நல்ல பணியிட உறவுகளை வளர்க்கும். சில நேரங்களில் மனமார்ந்த ஒரு “நன்றி” கூட பணியிடத்தை இனிமையாக்கும்.

எண்ணிச் செயலும் நல்ல தலைமையும்

“எண்ணித் துணிக கருமம்; துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.”

— திருக்குறள்

ஒரு செயலைத் தொடங்குவதற்கு முன் அதன் நோக்கம், விளைவு மற்றும் அபாயங்களை ஆராய்வது அவசியம். அதேபோல், “இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல்” எனத் திருவள்ளுவர் திறனை அறிந்து பொறுப்பை வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைக்கிறார். நல்ல தலைமை என்பது எல்லா பணிகளையும் தானே செய்வதல்ல; **சரியான மனிதரை அறிந்து, அவரை நம்பி, பொறுப்பளித்து வளரச் செய்வது.**

கற்றலும் பணிவும்

“கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக” என்ற குறள் தொடர்ச்சியான கற்றலின் அவசியத்தை நினைவூட்டுகிறது. ஒளவையாரின் “ஊக்கமது கைவிடேல்”, “ஓதுவது ஒழியேல்”, “ஒப்புரவு ஒழுக்கு”, “தூக்கி வினை செய்” ஆகியவை விடாமுயற்சி, கற்றல், ஒத்துழைப்பு, சிந்தித்துச் செயல்படுதல் ஆகியவற்றைச் சுருக்கமாக உணர்த்துகின்றன. நாலடியார் வலியுறுத்தும் அடக்கமும் பணிவும் இதனுடன் இணைகின்றன. **திறமைக்கு பணிவு சேர்ந்தால் மதிப்பு பெருகும்; அகந்தை சேர்ந்தால் இடைவெளி பெருகும்.**

குற்றம் தேடாமல் தீர்வு தேடுவோம்

தவறுகள் நிகழாத பணியிடம் இல்லை. தவறு ஏற்பட்டவுடன் “யார் செய்தது?” என்று மட்டும் கேட்பதைவிட, “ஏன் ஏற்பட்டது? மீண்டும் நிகழாமல் என்ன செய்யலாம்?” என்று சிந்திப்பது நிறுவனத்தை முன்னேற்றும். பொறுப்புணர்வும் அவசியம்; தவறிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மையும் அவசியம். **குற்றம் சுமத்துவதைவிடக் குறை களைவதே சிறந்த பணியிடப் பண்பாடு.**

நிறைவாக...

திருக்குறள், நாலடியார், ஆத்திசூடி மற்றும் சங்க இலக்கியங்கள் தமிழுக்குச் சொந்தமான இலக்கியச் செல்வங்கள்; ஆனால் அவை சொல்லும் அறம், நேர்மை, பணிவு, நன்றி, மனிதநேயம் மற்றும் ஒற்றுமை உலகம் முழுவதற்குமான பொதுவான விழுமியங்கள். நல்ல பணியிடத்தை உருவாக்குவது விதிமுறைகள் மட்டுமல்ல; நமது அன்றாட நடத்தையும்தான்.

பேசுவதற்கு முன் சிந்திப்போம்;
பதவியை விட மனிதரை மதிப்போம்;
வேறுபாடுகளை மதித்து ஒன்றிணைவோம்;
வெற்றியைப் பகிர்ந்துகொள்வோம்;
தவறிலிருந்து கற்றுக்கொள்வோம்;
நேர்மையுடன் செயல்படுவோம்.

“யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்”
ஊர்கள் வேறாகலாம்; மொழிகள் வேறாகலாம்;
நம் இலக்கும் நம் பயணமும் ஒன்றாகட்டும்.

மரியாதை - பதவிக்கு அல்ல, மனிதருக்கு

ஒரு நல்ல பணியிடத்தின் தரத்தை அதன் பெரிய கொள்கைகளில் மட்டுமல்ல, அன்றாடச் சிறிய நடத்தைகளிலும் காணலாம். ஒருவரின் கருத்தை இடைமறிக்காமல் கேட்பது, நேரத்தை மதிப்பது, உதவி கேட்டவருக்கு இயன்றவரை வழிகாட்டுவது, இளைய

பணியாளரின் கருத்துக்கும் மதிப்பளிப்பது போன்றவை எளிய செயல்கள். ஆனால் இவையே பரஸ்பர நம்பிக்கையை உருவாக்குகின்றன. **மரியாதை என்பது பதவியால் பெறப்படுவது மட்டும் அல்ல; நாம் பிறருக்கு அளிக்கும் மரியாதையால் வளர்வதும் ஆகும்.**

செவிமடுத்தல் - நல்ல தொடர்பாடலின் மறுபக்கம்

நன்றாகப் பேசுவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு நன்றாகக் கேட்பதும் முக்கியம். கூட்டங்களில் மற்றவரின் கருத்தை முழுமையாகக் கேட்பது, வேறுபட்ட பார்வையை உடனே நிராகரிக்காமல் புரிந்துகொள்ள முயல்வது, தேவையான இடத்தில் விளக்கம் கேட்பது ஆகியவை ஆரோக்கியமான உரையாடலை உருவாக்குகின்றன. பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இணைந்து பணியாற்றும் சூழலில் இந்தச் செவிமடுத்தல் பரஸ்பர புரிதலுக்கும் ஒற்றுமைக்கும் பாலமாக அமைகிறது.

**“எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.”**

— திருக்குறள்

கருத்தை யார் கூறுகிறார் என்பதைக் காட்டிலும், அந்தக் கருத்தில் உள்ள உண்மையையும் பயனையும் ஆராய வேண்டும் என்ற இந்தக் குறள், இன்றைய பணியிடத்திலும் மிகப் பொருத்தமானது. நல்ல யோசனை எந்த நிலை பணியாளரிடமிருந்தும் வரலாம்; அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் திறந்த மனமே நிறுவனத்தின் அறிவை விரிவாக்குகிறது.

பகிர்ந்த அறிவு - பெருகும் செல்வம்

அனுபவமும் அறிவும் ஒருவரிடம் மட்டுமே நின்றுவிடாமல் பகிரப்படும் போது குழுவின் திறன் பெருகுகிறது. புதிய பணியாளருக்கு செயல்முறையை விளக்குதல், கற்ற பாடங்களைப் பகிர்தல், சிறந்த நடைமுறைகளை மற்ற அணிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்வது போன்றவை நிறுவனத்தின் கூட்டு அறிவை வளர்க்கின்றன. **ஒருவர் வளர்வது தனிப்பட்ட முன்னேற்றம்; ஒருவரால் மற்றவர்களும் வளர்வது நிறுவன முன்னேற்றம்.**

பணி-மனிதம் இரண்டும் இணைந்தால்

இலக்குகள், காலக்கெடுகள் மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவை நிறுவன வளர்ச்சிக்கு அவசியமானவை. அதே நேரத்தில், அவற்றை அடையும் பயணத்தில் மனிதநேயமும் இணைந்திருக்க வேண்டும். சக பணியாளரின் சூழ்நிலையைப் புரிந்துகொள்வது, தேவையான நேரத்தில் ஆதரவளிப்பது, வெற்றியைப் பாராட்டுவது, சிரமமான நேரத்தில் துணையாக இருப்பது ஆகியவை ஒரு குழுவை வெறும் பணிக்குழுவாக அல்லாமல் நம்பிக்கையுள்ள அணியாக மாற்றுகின்றன.

**அறிவும் திறமையும் நம்மை முன்னேற்றலாம்;
அறமும் பண்பும் நம்மை உயர்த்தும். ●**



स्वाति पाटिल लाहिरी
उपाध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

सुशासन

शास्त्रों से विदित Corporate Governance

सुशासन क्या है? सबका समावेश यानी inclusion, सबका हित या किसी का अहित ना होना यानी balanced interest of all stakeholders, और सबका सतत विकास यानी sustainable development, यही सुशासन है, यही corporate governance है। ये कोई इक्कीसवीं सदी का concept नहीं है। रामायण और महाभारत की कहानियां हो या भगवत गीता में दिया हुआ उपदेश हो, सुशासन के सिद्धांत सदियों से सिखाए गए हैं। सुशासन का उद्देश्य केवल नीति पालन यानी compliance नहीं, बल्कि उन्नति यानी सबकी prosperity है।

कहते हैं आने वाले कल को बनाने के लिए बीते हुए कल का अभ्यास करना और उसे समझना बहुत जरूरी है। जहाँ हम NaBFID में होने के नाते विकसित भारत का सृजन करते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि बीते समय से सुशासन की सीख लेना हमारा मार्गदर्शन करेगा। ऐसा ही एक उदाहरण गीता के पहले श्लोक से मिलता है।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हम सब ने सुना है, कुछ ऐसा ही है आजकल का corporate जगत यानी मॉडर्न corporate वर्ल्ड। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्म है वह नीतियां यानी laws, rules, regulations, policies, जो हमें क्या सही क्या गलत का ढांचा बताती हैं, और कर्म है वह कारोबारिक परिणाम यानी profits या बिजनेस goals जिनको हासिल करने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं।

जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में हुआ था, वैसे ही कारोबारिक परिणाम यानी बिजनेस goals या profits हासिल करने के लिए हम नीति लिखित ढांचे यानी compliance framework के अधीन होकर कार्य करते हैं। इतना simple नहीं

है, मेरा मानना है कि धर्म संभालते हुए कर्म करना उस रस्सी पर चलने वाली लड़की जैसा है, कि एक क्षण के लिए ध्यान गया तो गंभीर चोट लग सकती है। इसीलिए गीता का यह पहला श्लोक खासकर "धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे" शब्द, मेरे लिए यह reminder है कि एक तरफ हमारे बिजनेस goals पूरे होने चाहिए और दूसरी तरफ compliance से नजर नहीं हटनी चाहिए।

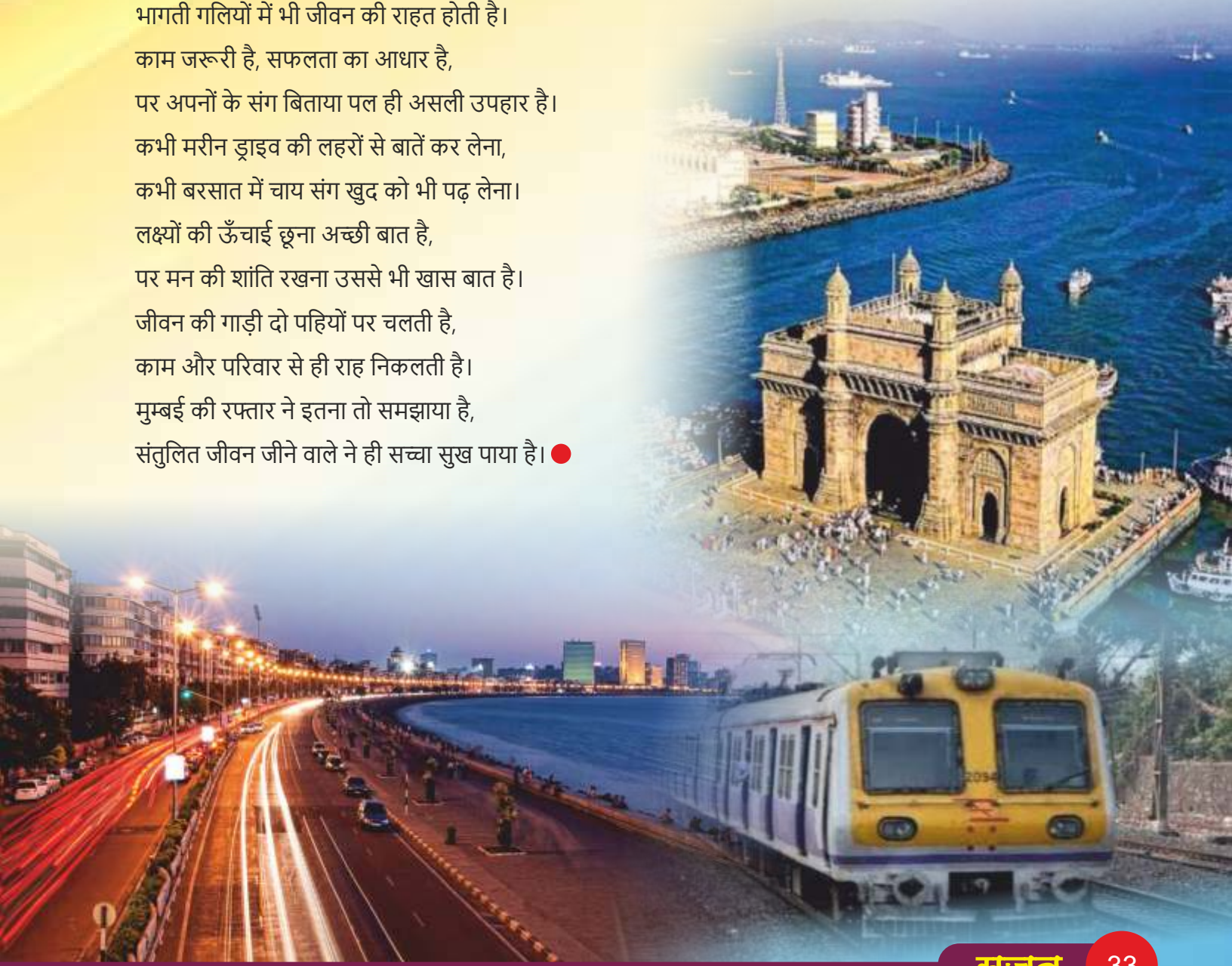
इसी श्लोक का दूसरा हिस्सा कहता है "मामकाः पाण्डवाश्चैव", अर्थात मेरे और पांडू के पुत्रों ने क्या किया? यहाँ पर कहने वाला एक पिता भी है और एक राजा भी। पिता होने के नाते जहाँ मेरे और पांडू के पुत्र कहने का भेद वाजिब हो सकता है, वही राजा होने के नाते ये भेद उचित नहीं। आजकल हम डायवर्सिटी, इक्विटी और इंकलूजन (DEI) की बात करते हैं। इसीलिए हमें अपने सबकाशियस (sub conscious) को भेदभाव ना करने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता जा रहा है। राजा सभी का राजा होता है, उसके मुँह से मेरे और तुम्हारी की भाषा दूरी निर्माण करती है। जब हम अपनी-अपनी टीम के साथ करते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, तब यह ख्याल रखना जरूरी है कि I/Mine और They/Them से ज्यादा हम यानी "We/Our" की भाषा का इस्तेमाल करें। ये भी इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा सा टटोलेंगे, तो हम सभी में थोड़ा बहुत unconscious bias मिलेगा। परंतु यदि धर्म क्षेत्र का कुरुक्षेत्र जीतना है, तो जाने-अनजाने में किए हुए exclusion से काम नहीं चलेगा। सबको साथ लेकर, मन से यानी consciously साथ लेकर चलना पड़ेगा। तभी सुशासन संभव हो पाएगा। ●

मुम्बई से सीखा

सुबह की लोकल में सपनों का सफ़र चलता है,
भीड़ के हर चेहरे पर एक लक्ष्य पलता है।
दफ़्तर की जिम्मेदारियों में दिन यूँ ढल जाता है,
पर घर का एक मुस्कुराता चेहरा थकान हर ले जाता है।
मुम्बई सिखाती है समय की कीमत क्या होती है,
भागती गलियों में भी जीवन की राहत होती है।
काम जरूरी है, सफलता का आधार है,
पर अपनों के संग बिताया पल ही असली उपहार है।
कभी मरीन ड्राइव की लहरों से बातें कर लेना,
कभी बरसात में चाय संग खुद को भी पढ़ लेना।
लक्ष्यों की ऊँचाई छूना अच्छी बात है,
पर मन की शांति रखना उससे भी खास बात है।
जीवन की गाड़ी दो पहियों पर चलती है,
काम और परिवार से ही राह निकलती है।
मुम्बई की रफ़्तार ने इतना तो समझाया है,
संतुलित जीवन जीने वाले ने ही सच्चा सुख पाया है। ●



दीक्षा कालरा
विश्लेषक-ट्रेजरी



आवरण सज्जा

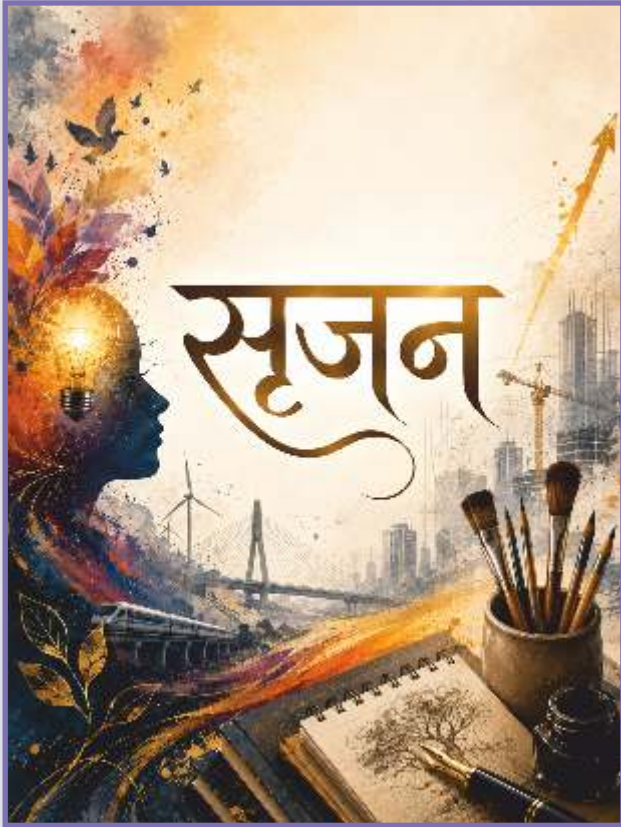


रश्मि जैन

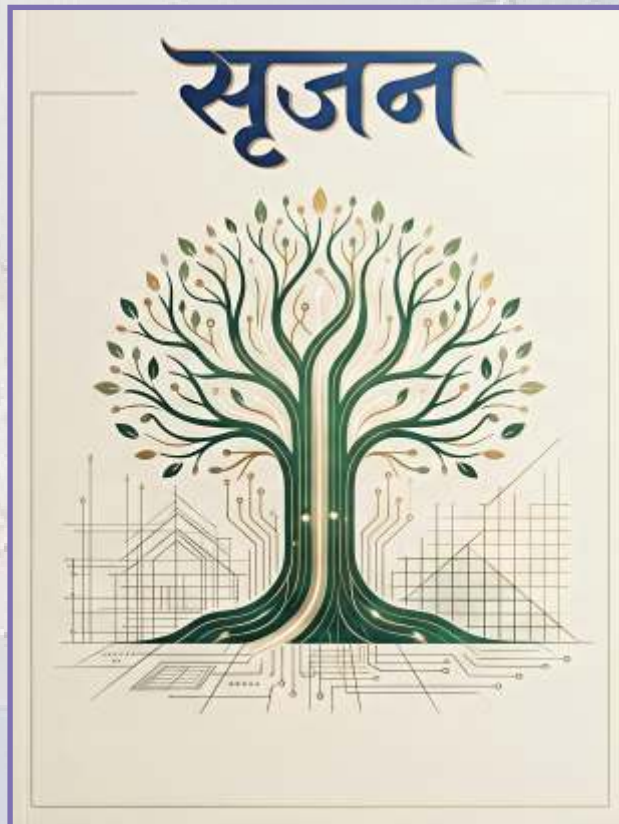
व्यवसाय विश्लेषक-ऋण एवं
परियोजना वित्त (व्यवसाय)



आवरण सज्जा



सलोनी अग्रवाल
व्यवसाय विश्लेषक-अनुपालन



कनिका
विश्लेषक-अनुपालन



Be Safe
Awareness is the first step to being safe!
Integrated Information Security Awareness Program

सतर्क रहें – धोखाधड़ी से बचें

UPI और नकद धोखाधड़ी से जुड़ी जरूरी जानकारी

UPI फ्रॉड से कैसे बचें?

- OTP और UPI PIN किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ साझा न करें – ये आपकी डिजिटल चाबी है।
- QR कोड स्कैन करके पैसा नहीं मिलता – बल्कि पैसा कटता है।
- TeamViewer, AnyDesk जैसे ऐप्स से दूर रहें – स्क्रीन शेयरिंग के बहाने अकाउंट खाली किया जा सकता है।
- संदिग्ध लिंक, कॉल या SMS से सावधान रहें – कभी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले जांच करें।
- ग्राहकों को भी UPI से जुड़े फ्रॉड के बारे में समझाएं – एक छोटा टिप भी बड़ा असर डालता है।

क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से कैसे बचें?

- SMS या कॉल के जरिए मांगी गई जानकारी पर भरोसा न करें – पहले सत्यापित करें।
- केवल भरोसेमंद और सुरक्षित वेबसाइट्स पर ही कार्ड का उपयोग करें।
- कार्ड स्टेटमेंट को समय-समय पर जांचें – अनजान लेनदेन तुरंत रिपोर्ट करें।
- कार्ड नंबर, CVV, OTP और एक्सपायरी डेट कभी भी किसी के साथ साझा न करें।

भरोसा नहीं, पुष्टि करें – यही है असली सुरक्षा।

OTP, UPI PIN या लॉगिन जानकारी किसी के साथ साझा न करें – चाहे सामने वाला कोई भी दावा करे।

किसी भी कॉल, मेल या लिंक को लेकर जल्दबाजी न करें। जांच एजेंसी, सीनियर अधिकारी, IT सपोर्ट – कोई भी अगर लिंक/ऐप भेजे, पहले पुष्टि करें।

अगर दोनैक्शन असामान्य लगें – मानिए कुछ गड़बड़ है। बार-बार केश जमा, बार-बार UPI रिक्वेस्ट, बिना वजह चंदी टंकन – यह संकेत हो सकते हैं गंभीर लॉन्गिंग या फ्रॉड के।

याद रखें:
आपकी जागरूकता सिर्फ ग्राहकों को नहीं, आपको भी सुरक्षित रखती है।

यह संदेश सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। किसी प्रकार की शंका या जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : infosec@nabfid.org

National Bank for Financing Infrastructure and Development

मानसून से आगे : भारत में सिंचाई के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना

एल-नीनो भारत को प्रभावित करने वाली प्रमुख जलवायु घटनाओं में से एक है। इस वर्ष भी इसके प्रभाव के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून के शुरुआती चरण में वर्षा में उल्लेखनीय कमी देखी गई। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में कृषि पर एल-नीनो का प्रभाव धीरे-धीरे कम हुआ है। पिछले दो दशकों में 2002, 2009, 2015 और 2023 एल-नीनो वाले वर्ष रहे, जिनमें वर्षा सामान्य से कम रही। इसके बावजूद, इन वर्षों में कृषि के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की वृद्धि में मानसून पर निर्भरता कम होने के संकेत मिले हैं।

वित्त वर्ष 2002-03 में कृषि जीवीए में 6.6 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 2009-10 में यह प्रभाव अपेक्षाकृत कम गंभीर रहा और वृद्धि दर -0.88 प्रतिशत रही। 2015-16 में कृषि जीवीए में 0.65 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई, जबकि 2023-24 में यह वृद्धि 2.6 प्रतिशत रही। यह कृषि क्षेत्र की बढ़ती दृढ़ता को दर्शाता है। इसका प्रमुख कारण मशीनीकरण और कृषि पद्धतियों में सुधार के साथ-साथ सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकता है। हालांकि पिछले दशक में भारत ने अपनी लगभग दो-तिहाई फसल योग्य भूमि को सिंचाई के दायरे में ला दिया है, फिर भी वर्षा-आधारित कृषि से देश के कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत प्राप्त होता है। ऐसे में सिंचाई सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने की अभी भी पर्याप्त गुंजाइश है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत में सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत और फसल सघनता के बीच मजबूत संबंध पाया जाता है। फसल सघनता का अर्थ है कि बिना अतिरिक्त भूमि को कृषि के लिए उपयोग में लाए, एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाकर कुल कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। इससे संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव होता है। भारत में औसत फसल

सुजीत कुमार
उपाध्यक्ष-मुख्य अर्थशास्त्री



सघनता लगभग 156 प्रतिशत है। पंजाब, जहाँ सिंचित क्षेत्र का अनुपात सर्वाधिक, लगभग 99 प्रतिशत है, में फसल सघनता भी सबसे अधिक, 202 प्रतिशत है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 191 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 190 प्रतिशत फसल सघनता दर्ज की गई है। ये दोनों राज्य सिंचित क्षेत्र के मामले में क्रमशः सातवें और पाँचवें स्थान पर हैं। इससे स्पष्ट है कि विश्वसनीय जलस्रोतों तक पहुँच उपलब्ध कराने वाला सुदृढ़ सिंचाई ढाँचा कुशल बहुफसली खेती का एक प्रमुख आधार है।

भारत के सिंचाई ढाँचे में भूजल प्रणालियाँ— जैसे कुएँ और नलकूप— सतही जल नेटवर्क— जैसे बाँध, जलाशय और नहरें—जल भंडारण संरचनाएँ—जैसे तालाब और टैंक—तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ—जैसे टपक और फव्वारा सिंचाई—शामिल हैं। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा नलकूपों और नहरों के माध्यम से सिंचित होता है। पिछले दशक में विभिन्न लक्षित पहलों के माध्यम से कुल सिंचित क्षेत्र का अनुपात लगभग 52 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। 2000 के दशक में शुरू की गई सरकारी पहलों, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडब्ल्यूएम) तथा सतही लघु सिंचाई योजनाओं ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सरदार सरोवर परियोजना जैसी योजनाएँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सहित चार बड़े राज्यों को लाभ पहुँचाने वाली प्रमुख जल संसाधन परियोजनाओं में शामिल हैं। मार्च 2030 तक पूरा किए जाने के लक्ष्य वाली केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से लगभग 62 लाख लोगों को घरेलू जलापूर्ति उपलब्ध कराने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जलविद्युत और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। इसी प्रकार, पोलावरम सिंचाई परियोजना के माध्यम से 540 गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजनाएँ सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने के साथ-साथ सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए जल सुरक्षा को मजबूत करेंगी और व्यापक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेंगी।

पिछले दशक में हुई उल्लेखनीय प्रगति को देखते हुए, सिंचाई बुनियादी ढाँचे के विस्तार के अगले चरण में पैमाना बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए नवाचार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विस्तार अत्यंत लाभकारी हो सकता है। देश के विभिन्न कृषि क्षेत्रों के अनुभव बताते हैं कि उर्वरक-सिंचाई अर्थात् फर्टिगेशन एक अत्यंत प्रभावी तकनीक है, जिसमें पानी में घुलनशील उर्वरकों को टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है। पारंपरिक मिट्टी में उर्वरक डालने की पद्धति में सामान्यतः उर्वरक उपयोग दक्षता 30-50 प्रतिशत रहती है, जबकि फर्टिगेशन के माध्यम से इसे 80-90 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इससे पारंपरिक कृषि पद्धतियों की तुलना में उर्वरकों और सिंचाई जल की लगभग एक-चौथाई तक बचत संभव है। पोषक तत्वों के उपयोग में इस उल्लेखनीय दक्षता से उर्वरकों की कुल खपत कम होगी, सब्सिडी का बोझ घटेगा और राजकोषीय संसाधनों के लिए अतिरिक्त गुंजाइश बनेगी।

भारत के पास विश्व में दूसरा सबसे बड़ा फव्वारा और सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र होने के बावजूद, कुल सिंचित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई का हिस्सा केवल लगभग 19 प्रतिशत है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करने के लिए भारत सरकार की 'प्रति बूँद अधिक फसल' योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे अब तक पाँच लाख से अधिक छोटे किसानों को लाभ मिला है और वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग आठ लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया है।

भविष्य में इस योजना को केवल अनुदान-आधारित क्रियान्वयन से आगे बढ़ाकर परिणाम-आधारित निगरानी की ओर ले जाया जा सकता है। राज्यों का मूल्यांकन केवल सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र के आधार पर न होकर जल उपयोग दक्षता, फसल उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार जैसे परिणामों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। इससे सार्वजनिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा और सूक्ष्म सिंचाई के वास्तविक आर्थिक एवं कृषि संबंधी लाभों को बढ़ाया जा सकेगा।

अंततः, सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार से मिलने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजकोषीय लाभों को देखते हुए अब अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि को इन प्रणालियों के दायरे में लाने के साथ-साथ मौजूदा सिंचाई बुनियादी ढाँचे की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

भारत में सिंचाई की यात्रा अब तक उल्लेखनीय रही है, लेकिन अगले चरण में केवल नया बुनियादी ढाँचा खड़ा करना पर्याप्त नहीं होगा। अब प्राथमिकता सिंचाई व्यवस्था की दक्षता, समान पहुँच, स्थिरता और जलवायु-लचीलेपन को मजबूत करने की होनी चाहिए। एक ऐसी सिंचाई व्यवस्था, जो मानसून की अनिश्चितताओं से कृषि को अधिक सुरक्षित बनाए और जल तथा अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करे, भारत की खाद्य एवं आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। ●

कला कृति



सलोनी अग्रवाल
व्यवसाय विश्लेषक-अनुपालन

विनिमय दर और प्रणालीगत तरलता का चक्र

जून 2026 तक डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 95.50 के स्तर पर रहा, जबकि 20 मई 2026 को कारोबार के दौरान यह अब तक के सबसे निचले स्तर 96.96 तक पहुँच गया था। पिछले दो वर्षों में भी रुपये में उल्लेखनीय कमजोरी आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 जून 2024 को 83.14 से गिरकर 10 जून 2026 को 95.27 पर आ गया, जो इस अवधि में लगभग 15% की गिरावट है। इसका वार्षिक औसत अवमूल्यन लगभग 4% रहा।

इस दो वर्ष की कुल लगभग 15% गिरावट में सबसे तीव्र गिरावट, लगभग 9%, 27 फरवरी 2026 से 10 जून 2026 के बीच हुई, जब रुपया 87.20 से गिरकर 95.27 के स्तर पर आ गया। इसके कारण सर्वविदित हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच संघर्ष ने पहले से मौजूद भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया, जिससे सुरक्षित निवेश परिसंपत्तियों की माँग बढ़ी। पश्चिम एशिया संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि ने पूँजी के बहिर्वाह पर और दबाव डाला। परिणामस्वरूप इस अवधि में रुपये की गिरावट और तेज हो गई तथा मुक्त व्यापार समझौते और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौतों से संबंधित सकारात्मक घटनाक्रमों के लाभ लगभग पूरी तरह निष्प्रभावी हो गए। उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करने के बावजूद रुपये पर लगातार बने दबाव के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) को मार्च के अंत में कई नियामकीय उपाय करने पड़े।

भारत का बाह्य क्षेत्र मुख्यतः पूँजी खाते से हुए बहिर्वाह के कारण दबाव में रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इक्विटी बाजार से शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ पी आई) बहिर्वाह 14.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। हालाँकि, ऋण खंड में लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर का शुद्ध सकारात्मक प्रवाह हुआ, जिसने इक्विटी से हुए बहिर्वाह की भरपाई कर दी। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल मिलाकर 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर का शुद्ध सकारात्मक प्रवाह रहा।

इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के पूँजी खाते पर अधिक दबाव रहा और कुल शुद्ध बहिर्वाह 16.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें अकेले इक्विटी खंड से 19.7 अरब अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह हुआ। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक कुल 15.4 अरब अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह हुआ है, जिसमें अकेले इक्विटी खंड से 16.2 अरब अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह शामिल है।



कन्हैया झा

वरिष्ठ विश्लेषक-अर्थशास्त्री



रुपये पर दबाव कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शुद्ध आधार पर 34.5 अरब अमेरिकी डॉलर और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 53.1 अरब अमेरिकी डॉलर की डॉलर बिक्री की। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये की रुपये-तरलता बैंकिंग प्रणाली से बाहर हुई। वर्ष की दूसरी छमाही में भी इस दिशा में अतिरिक्त कार्रवाई की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन उपायों के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपये की रुपये-तरलता बाहर निकली।

इसके प्रत्युत्तर में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.83 लाख करोड़ रुपये की खुले बाजार परिचालन (ओ एम ओ) खरीद नीलामियाँ कीं, जिनका प्रमुख संकेंद्रण चौथी तिमाही में रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्रीय बैंक ने बड़े पैमाने पर 8.77 लाख करोड़ रुपये की ओ एम ओ खरीद नीलामियाँ कीं, जिनका प्रमुख संकेंद्रण तीसरी और चौथी तिमाही में रहा। कुल मिलाकर, ऐसा प्रतीत होता है कि रुपये में गिरावट के बीच आर बी आई ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप से लेकर ओ एम ओ खरीद नीलामियों के माध्यम से टिकाऊ तरलता के प्रबंधन तक कई स्तरों पर कदम उठाए।

आर बी आई के समय पर उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रणालीगत तरलता सहज रूप से अधिशेष में बनी हुई है। औसत तरलता अधिशेष 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जो शुद्ध माँग एवं समय देयताओं (एन डी टी एल) का लगभग 1.15% है। प्रणाली में अधिशेष तरलता के कारण भारित औसत माँग दर (डब्ल्यू ए सी आर) ब्याज दर गलियारे के निचले बैंड की ओर तथारेपो दर के आसपास बनी रही।

प्रणाली में अधिशेष तरलता का एक कारण राज्यों में चुनावों की समाप्ति के बाद मुद्रा की निकासी में कमी तथा लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों (एस डी एल एस) की परिपक्वता भी हो सकती है।

इस प्रकार, रुपये की कमजोरी और विदेशी पूँजी के बहिर्वाह से उत्पन्न दबाव के बीच आर बी आई ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप और घरेलू प्रणाली में तरलता प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखा। डॉलर की बिक्री से उत्पन्न रुपये की तरलता की निकासी की भरपाई ओ एम ओ खरीद के माध्यम से की गई, जिससे वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनी रही और मुद्रा बाजार की ब्याज दरों को नियंत्रित दायरे में रखने में सहायता मिली।

पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपया और उससे जुड़ी मौद्रिक नीति भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) के नीति-निर्माताओं तथा बाजार सहभागियों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय रही है। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितता के बाद रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आर बी आई ने अकेले मार्च 2026 में शुद्ध आधार पर 9.75 अरब अमेरिकी डॉलर की बिक्री की। दूसरी ओर, मई 2026 में आर बी आई ने 5 अरब अमेरिकी डॉलर का अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपये खरीद-बिक्री स्वैप आयोजित किया। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग प्रणाली में तरलता के प्रबंधन के लिए कई परिवर्तनीय दर रेपो (वी आर आर) नीलामियाँ की गईं, जिनके साथ मिलकर लगभग 47,000 करोड़ रुपये की टिकाऊ तरलता उपलब्ध हुई।

जैसे-जैसे दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एम पी सी) की बैठक नजदीक आई, बाजार सहभागियों को उम्मीद थी कि आर बी आई रुपये को समर्थन देने और विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए कई उपायों की घोषणा करेगा। हालांकि, एम पी सी ने फिलहाल प्रतीक्षा और निगरानी की नीति अपनाई। बाजार की व्यापक अपेक्षाओं के अनुरूप नीतिगत रेपो दर और मौद्रिक नीति के रुख में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही, आर बी आई ने घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि और मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को भी स्वीकार किया।

तरलता के संबंध में आर बी आई गवर्नर ने दोहराया कि केंद्रीय बैंक ने आवश्यकता के अनुसार अल्पकालिक तरलता के प्रबंधन के लिए परिवर्तनीय दर रेपो (वी आर आर आर) और परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वी आर आर आर) नीलामियों का समय-समय पर उपयोग किया है। वहीं, सम्पोषणीय तरलता के प्रबंधन के लिए अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपये खरीद-बिक्री स्वैप का सहारा लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आगे चलकर आर बी आई से सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के बाद सरकारी नकदी शेष में कमी आने से बैंकिंग प्रणाली की तरलता को आवश्यक समर्थन मिलेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आर बी आई ने विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की। इनमें सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कर लाभों के अतिरिक्त, पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफ ए आर) के अंतर्गत सरकारी

प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश के अवसरों का विस्तार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकरण के बिना इक्विटी बाजार में निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओ सी आई) की निवेश सीमा बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के तहत रियायती स्वैप सुविधा उपलब्ध कराना तथा 30 सितंबर 2026 तक नए 3 से 5 वर्ष की एफ सी एन आर (बी) जमाएँ जुटाने वाले अधिकृत बैंकों की पूरी हेजिंग लागत वहन करना शामिल है। इसके अलावा, निर्यात से होने वाली आय की वसूली की समय-सीमा 15 महीने से घटाकर 9 महीने कर दी गई है।

इन घोषणाओं का विदेशी मुद्रा बाजार पर तत्काल सकारात्मक प्रभाव पड़ा और अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपये में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कारोबार के दौरान इसमें लगभग 40 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

इसके बाद, एम पी सी के दौरान घोषित उपायों पर आर बी आई की विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के साथ ही बाजार सहभागियों ने भारतीय बाजार में संभावित विदेशी मुद्रा प्रवाह का आकलन शुरू कर दिया। बाजार की व्यापक धारणा के अनुसार, विदेशी पूँजी प्रवाह 45-60 अरब अमेरिकी डॉलर के दायरे में रह सकता है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो दबाव में चल रहे पूँजी खाते को चालू खाते से मिलने वाले समर्थन के साथ मजबूती मिलेगी और परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में भुगतान संतुलन (बी ओ पी) सकारात्मक रह सकता है।

ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान RBI के शुद्ध आधार पर अमेरिकी डॉलर का खरीदार बने रहने की संभावना है। इससे लगभग 4.0-5.0 लाख करोड़ रुपये की तरलता प्रणाली में आ सकती है। इससे दोहरे उद्देश्य पूरे होंगे-एक ओर रुपये में अत्यधिक गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी और दूसरी ओर सम्पोषणीय तरलता को पर्याप्त समर्थन मिलेगा।

यदि बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता पर्याप्त रूप से अधिशेष में बनी रहती है, तो आर. बी. आई. को पिछले दो वर्षों की तरह टिकाऊ तरलता उपलब्ध कराने के लिए खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद (ओ एम ओ परचेज) नीलामियाँ करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, निकट भविष्य में बार-बार ओ एम ओ खरीद नीलामियाँ किए जाने की संभावना कम दिखाई देती है।

हालांकि, आर. बी. आई. की वास्तविक कार्रवाई अंततः आने वाले महीनों में होने वाले व्यापक आर्थिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि, विदेशी पूँजी प्रवाह, रुपये की विनिमय दर तथा बैंकिंग प्रणाली की तरलता की स्थिति ही यह तय करेगी कि केंद्रीय बैंक भविष्य में किस दिशा में कदम उठाता है। ●

बच्ची दुनिया



यान्वी लाहिरी

कक्षा -3

सुपुत्री श्रीमती स्वाति पाटिल लाहिरी



जेनिशा लाहिरी

सुपुत्री श्रीमती स्वाति पाटिल लाहिरी



ध्यानी पटेल

कक्षा -6

सुपुत्री श्रीमती देवांगी पटेल



'ना' को अपनाओ भ्रष्टाचार मिटाओ

साभार : केन्द्रीय सतर्कता आयोग

'ना' को अपनाओ
भ्रष्टाचार मिटाओ

नेहा अपनी मम्मी आशा के साथ 10 दिनों के लिए नानी के घर कार से जा रही थी।



गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाने का मजा
हो कुछ और है।



यह दस दिन कैसे बीत जायेंगे,
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।



अभी तो मुझे लॉन्ग ड्राइव और बाहर के नजारों का आनंद लेने दो।



रास्ते में गाने सुनते-सुनते कब सिटी ट्रैफिक को क्रॉस करके नेशनल हाईवे पर पहुँच गए
पता ही नहीं चला। खाली सड़क देख आशा की कार की स्पीड तेज हो गई।

थोड़ी देर बाद ही आशा को एक
ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रोका जो कि
अपनी इंटरसेप्टर कार के साथ
खड़ा था।



इंटरसेप्टर कार हाईवे पर चलने वाले व्हीकल की स्पीड लिमिट को
चेक करती है और ओवरस्पीड होने पर अलर्ट देती है।

सॉरी सर मुझे पता ही नहीं लगा
कब स्पीड ज्यादा हो गई।



मैडम, यह नेशनल हाईवे है
और यहां पर परमीसिबल स्पीड
लिमिट तय है। इससे ज्यादा स्पीड
होने पर चालान भरना
पड़ता है।



और आपकी स्पीड तो तय सीमा
से भी ऊपर थी।

साथ में छोटी बच्ची भी है,
कम से कम उसकी सुरक्षा का तो
ध्यान रखना चाहिए था।



मुझे स्पीड का
पता ही नहीं चला सर।



अब आपको
चालान भरना पड़ेगा।

कितना चालान
भरना है?



मैडम
नियमानुसार
2000 रुपए।

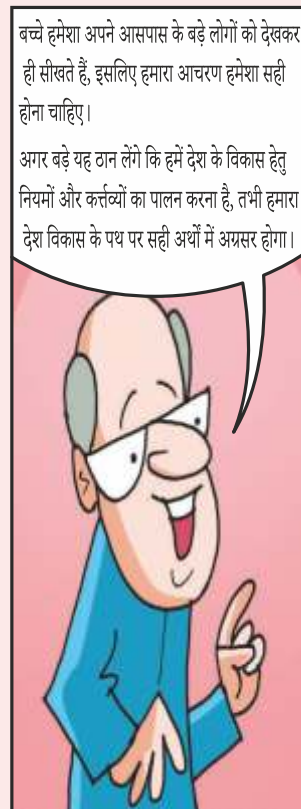
क्या!
इतना अधिक?



पर अगर
आप मुझे ₹500 देगी
तो मैं आपको जाने दूंगा।







हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13 (i)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(ii)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(iii)	विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क)	हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
(ख)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
(ग)	राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	

15. कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	45%	35%	25%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, “क” क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, “ख” क्षेत्र में 30% और “ग” क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए । ●

'सृजन' पत्रिका में प्रकाशनार्थ रचनाएँ भेजते समय कृपया निम्न निर्देशों का पालन करें:

- रचना कविता, कहानी, लघुकथा, लेख, संस्मरण, व्यंग्य तथा अन्य साहित्यिक विधाओं में हो सकती है।
- रचना आपकी मौलिक एवं अप्रकाशित हो।
- यदि आप मौलिक चित्रकला (पेंटिंग) बनाते हों तो उसे भी भेजें।
- रचना के साथ अपना पदनाम व विभाग अवश्य लिखें एवं अपना पासपोर्ट साइज़ फोटो भेजें।
- आपके विभाग से संबंधित उपलब्धि अथवा महत्वपूर्ण गतिविधि फोटो सहित अवश्य भेजें।
- पत्रिका में संस्थान के कर्मचारियों के साथ आश्रित सदस्यों की रचना और चित्रकला (पेंटिंग) भी भेजें।
- रचना टंकित (टाइप) होनी चाहिए।
- प्रकाशित होने योग्य रचनाओं के चयन का अंतिम अधिकार संपादकीय मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।
- रचना के साथ अपनी प्रतिक्रिया/राय भी अवश्य लिखें कि पत्रिका में आप किस प्रकार की सामग्री एवं विषयों को अधिक देखना चाहते हैं।

- सम्पादक



राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक में अवसंरचना विकास संस्थान का शुभारंभ करते हुए श्रीमती मोनिषा चक्रवर्ती, प्रभारी महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक सहित संस्थान के प्रबंध निदेशक श्री राजकिरण राय जी एवं वरिष्ठ अधिकारीगण



राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक एवं नाबार्ड के बीच ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के दौरान संस्थान के प्रबंध निदेशक श्री राजकिरण राय जी एवं नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी कृष्णन जी सहित दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारीगण

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

बढ़ता भारत, सँवरता जीवन

द कैपिटल, ए विंग, 15 वीं मंजिल- 1503, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

वेबसाइट : www.nabfid.org